



# National Projects Construction Corporation Limit (A Government of India Enterprise)

E-mail: [npcc.chamoli@gmail.com](mailto:npcc.chamoli@gmail.com)  
Website: [www.npcc.gov.in](http://www.npcc.gov.in)  
PROJECT EXCELLENCE SINCE 1957  
MINI RATNA-1

UTTRAKHAND ZONAL OFFICE: 98-NEHRU COLONY, DEHRAD  
PIN-248001 (UTTARAKHAND) Phone: 0135-2675

Ref. No.- NPCC/PMGSY/THARALI/13

Date: 01/05/2023

सेवा में  
श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी  
बलीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

विषय : जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-XVIII के अंतर्गत देवल खेता मोटर मार्ग से मोपाटा मोटर मार्ग का (LC27) के निर्माण हेतु 3.008 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन  
सन्दर्भ : आदेश सं 8 बी/यु० सी० पी०/06/85/2020/एफ० सी०/1563(भारत सरकार) दिनांक : 14/10/2020

महोदय,  
उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र एवं आदेश के क्रम में आपको अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा पत्रांक 8 बी/यु० सी० पी०/06/85/2020/एफ० सी०/1563(भारत सरकार) दिनांक : 14/10/2020 को कतिपय शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर दी गयी थी। अधिरोपित शर्तों का बिंदुवार अनुपालन अख्य निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

| बिन्दु संख्या | शर्त का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                          | अनुपालन आख्या  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|               | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।                                                                                                                                                                                                                            | शर्त मान्य है। |
| 1             | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि पर प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।                                                                                                                                                                    | शर्त मान्य है। |
| 2             | प्रतिपूरक वनीकरण<br>क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.016 हे० अवनत वनभूमि कालौडांडा रि०क०स० 3ब पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहाँ तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।                   | शर्त मान्य है। |
|               | ख) वन मंडल अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायगा की उक्त सी.ए क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।                                                                                                | शर्त मान्य है। |
| 3             | प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दर की दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन तथा स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 | शर्त मान्य है। |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | वर्षों तक आरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किया जा सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 4  | <p>शुद्ध वर्तमान मूल्य</p> <p>क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP(c) संख्या 202/1995 में नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ सी (Pt.2) दिनांक 18.08.2003 5—2/2006—एफ.सी दिनांक 30.10.2006 एवं 5—3/2007— एफ.सी दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.008 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।</p> <p>ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप से देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इस संबंध में एक शपथपत्र भी प्रस्तुत करेगा।</p> | शर्त मान्य है। |
| 5  | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 179 trees including 30 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | शर्त मान्य है। |
| 6  | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई पोर्टल ( <a href="http://parivesh.nic.in">http://parivesh.nic.in</a> ) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किए जाएंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शर्त मान्य है। |
| 7  | State Govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of Work before stage II approval as per guidelines para 11.2 The State Govt. will Strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | शर्त मान्य है। |
| 8  | एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | शर्त मान्य है। |
| 9  | प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | शर्त मान्य है। |
| 10 | संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के सात गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शर्त मान्य है। |
| 11 | पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रवधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणिक स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | शर्त मान्य है। |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 12 | केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का लेआउट प्लान नहीं बदला जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | शर्त मान्य है। |
| 13 | वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | शर्त मान्य है। |
| 14 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मज़दूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन की किसी अन्य कानूनी स्रोतों से प्रयाप्त लकड़ी विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | शर्त मान्य है। |
| 15 | संबंधित प्रभागीय या वन अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | शर्त मान्य है। |
| 16 | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शर्त मान्य है। |
| 17 | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनो के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | शर्त मान्य है। |
| 18 | केंद्र सरकार की पूर्वानुमानित के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी परिसतिथि में भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | शर्त मान्य है। |
| 19 | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जाएगा तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29/01/2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शर्त मान्य है। |
| 20 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण एवं विकास के हित समय समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शर्त मान्य है। |
| 21 | प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व निर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे ना गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें भी बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इन स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजना अनुसार समय बद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। | शर्त मान्य है। |

|    |                                                                                                                                                                                |                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 22 | यदि कोई संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालयी आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी कि जिम्मेवारी होगी । | शर्त मान्य है। |
| 23 | अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ) पर अपलोड की जाएगी                                                                | शर्त मान्य है। |

भवदीय



वरिष्ठ प्रबंधक

पी • आई • यू •

एन • पी • सी • सी • लिमिटेड

प्रतिलिपि सूचनार्थ

2 : जोनल मैनेजर , एन • पी • सी • सी • , उत्तराखंड जोन , देहरादून ।



दिनांक:01/05/2023

प्रमाण पत्र

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत देवल खेता मोटर मार्ग से मोपाटा मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा पत्रांक 8 बी /यु० सी० पी० /06 /85 /2020 /एफ० सी० / 1563(भारत सरकार) दिनांक : 14 /10/ 2020 को कतिपय शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर दी गयी थी।

शर्त संख्या 4 क) के अनुपालना में स्वीकृति अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवम वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 5-3/2007 एफसी दिनांक 05/02/2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार गणना करके प्रभावित क्षेत्र के शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि आनलाईन जनरेटेड चालान के अनुसार रुपये 25,41,760.00 प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है।

शर्त संख्या 4 ख) के अनुपालना विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप से देने के बाद देय हो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दिया जाएगा।

भवदीय



वरिष्ठ प्रबंधक

पी० आई० यू०

एन० पी० सी० सी० लिमिटेड



पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०६/८५/२०२०/एफ.सी. (1563)

दिनांक: 14/10/2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),  
उत्तराखण्ड शासन,  
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० फेज-XVIII के अंतर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के निर्माण हेतु 3.008 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: उप सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 756/x-3-20/1(80)/2020 दिनांक 29.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP-UK/ROAD/38366/2019 एवं उप सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाएँ चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 29.09.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार - जनपद - चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० फेज-XVIII के अंतर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के निर्माण हेतु 3.008 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

1. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण का सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।

2. प्रतिपूरक वनीकरण:

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.016 हे० अवनत वन भूमि कालौड़ा री० क० सं० 3 ब पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।

ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

3. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

4. शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.008 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

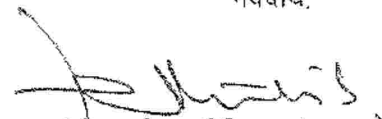
(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 179 trees including 30 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

6. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic.in/>) के माध्यम से अतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

7. State Govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.
8. एफआरए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
10. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
11. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
12. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
13. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
15. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
16. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
17. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
18. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति का हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
19. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइट संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
20. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
21. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तथ्य सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
22. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
23. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

  
(टी0 सी0 नौटियाल)  
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(टी0 सी0 नौटियाल)  
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

## वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-XVIII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 3.008है0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

अभिधीनता  
प्रामाण्य निर्माण विभाग  
पी0एम0जी0एस0वाई0  
कर्म-कर्मप्रमाण

ह0/

प्रभागीय वनाधिकारी

ह0/   
जिला अधिकारी  
जिलाधिकारी

  
व.स.

  
वन केनाधिकारी  
पूर्व विवर देव  
अधीन वन प्रमाण गोपेन्द्र  
(R.O)

  
नीरज पुरोहित  
रा0ड0नि0.....  
तहसील.....  
(चमोली)

  
Assistant Engineer  
RWD.PMGSY  
Karanprayag-1

  
उप जिला अधिकारी  
थराली (चमोली)

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
अधीन वन प्रमाण गोपेन्द्र  
(चमोली)



कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी नागनाथ वन क्षेत्र नागनाथ

पत्रांक 242 / 12 दिनांक 23-2-2019

सेवा में,

प्रभागीय वनधिकारी,  
कंदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,  
गोपेश्वर (चमोली)

विषय— आरक्षित वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल चयन हेतु संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ— आपका पत्रांक 3107/12-1 दिनांक 20.2.2019।

महोदय

उपरोक्त विषय सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है, कि उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में क्रम सं० 1 पर अंकित देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के किमी०-10 (सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.008 है० हस्तान्तरित वन भूमि के ऐक्ज में दोगुना क्षेत्रफल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल चयन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया संयुक्त निरीक्षण करने पर कालौडांडा रि०क०स० 3ब में 6.018 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। जिसकी जी०पी०एस० रीडिंग निम्न प्रकार है।

N 30°19'36.716" E 79°14'34.935"

N 30°19'45.047" E 79°14'53.660"

N 30°19'35.373" E 79°14'47.971"

N 30°19'34.993" E 79°14'35.230"

भवदीय,

  
वन क्षेत्राधिकारी  
कंदारनाथ वन्य जीव प्रभाग  
गोपेश्वर (चमोली)

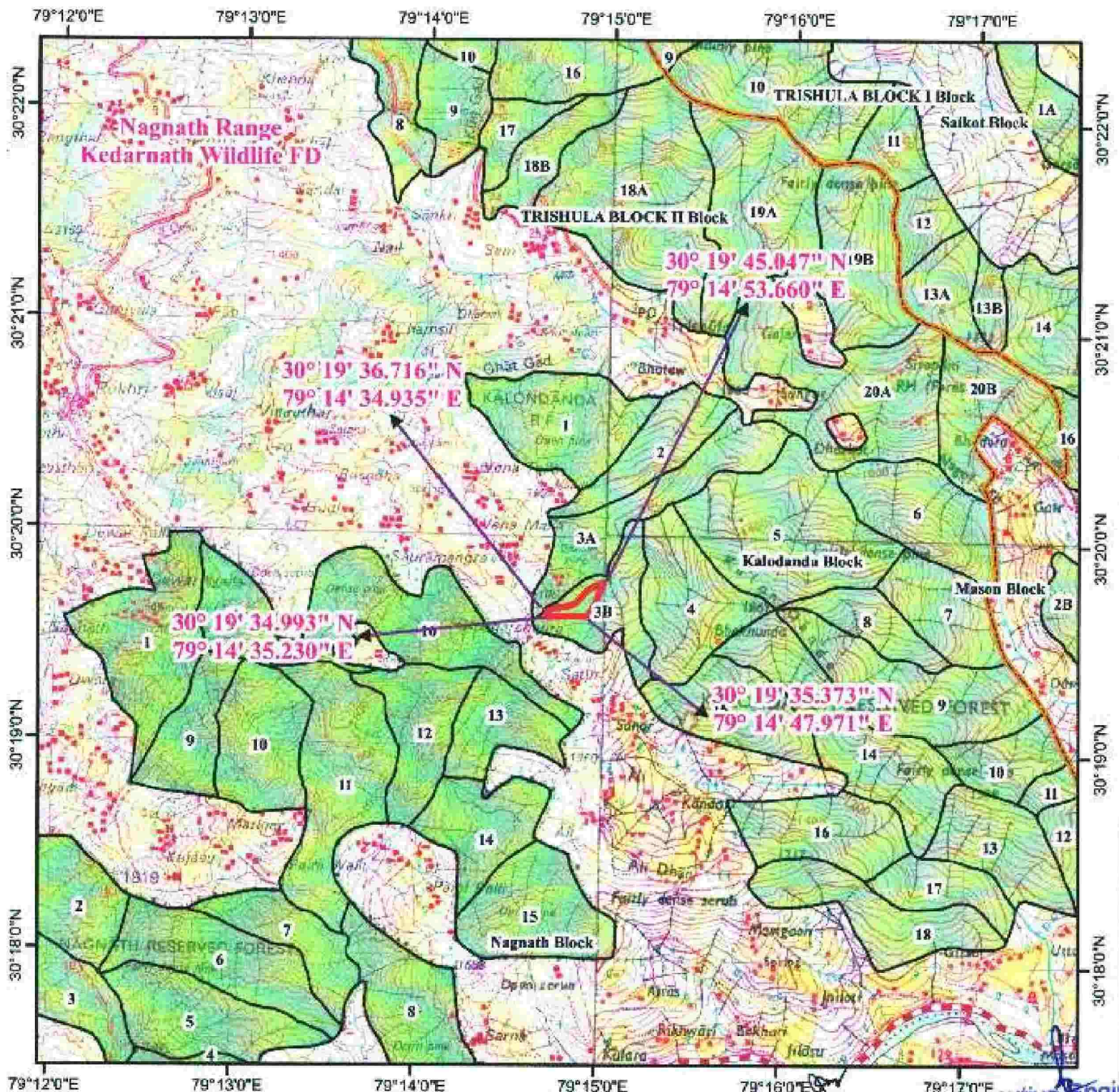
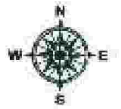


डिजिटल मैप - जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज - 18 के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग किमी 0 10 (सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल आरक्षित वन क्षेत्र ब्लॉक कालोडाण्डा, कक्ष सं 0-3B, नागनाथ रेंज केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग (क्षेत्र 6.016 है०)

0 0.5 1 1.5 2 Km

Scale- 1:50,000

SOI Toposheet No. 53N/03



### Legend

- Proposed CA Land
- Forest Division Boundary
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

Assistant Engineer  
Rural Works Department  
P.M.G.S.Y  
Sub Division-Karanprayag

Executive Engineer  
Rural Works Department  
P.M.G.S.Y  
Division-Karanprayag

प्रभागीय वन्यजीव अधिकारी  
करीमनगर वन प्रभाग, गोरखपुर  
(चमोली)

प्रमुख अधिकारी  
वन्यजीव वन प्रभाग, गोरखपुर  
(चमोली)



## क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के किमी 0-10 (सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग

प्रमाणित किया जाता है, कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित वन भूमि में कालौडांडा रि०क०सं० 3B में स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

वन क्षेत्राधिकारी

नागनाथ वन क्षेत्र नागनाथ

वन क्षेत्राधिकारी

नागनाथ वन क्षेत्र

राजस्थान राज्य, बीकानेर जिला

प्रभागीय वन क्षेत्राधिकारी  
प्रभागीय वन क्षेत्राधिकारी  
केदारनाथ वन क्षेत्राधिकारी  
बर्दीन  
गोरेगांव रोड पेकर  
(धनोली)

## प्रारूप ।

परियोजना का आनलाईन प्रस्ताव संख्या —FP/UK/ROAD/38366/2019

परियोजना का नाम—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के किमी0—10 (सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना का क्षेत्रफल है0 में— 3.008

प्रयोक्ता ऐजन्सी का नाम:— आर0ई0एस0 पी0एम0जी0एस0वाई0कर्णप्रयाग।

प्रभाग का नाम:— ब्रदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रभाग के अन्तर्गत क्षतिपूरक हेतु चयनित क्षेत्र नागनाथ रेंज के अन्तर्गत कालोडांडा रिजर्व क0सं0 3व में 6.016 है0 क्षेत्र का पुनः 01/9/2020 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया, स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र वनाच्छादित नहीं है। क्षेत्र झाडीनुमा व रिक्त है। रिक्त क्षेत्र में 1100 पौध/ है0 रोपित हो सकते हैं।

अतः उक्त 6.016 है0 क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

  
प्रभाष (अभिजात) खेरी  
केदारनाथ प्रभाषी वन अधिकारी गेडर  
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर।

**National Projects Construction Corporation Limited**  
**(A Government of India Enterprise)**

**E-mail:**  
**npcc.chamoli@gmail.com**  
**Website:** [www.npcc.gov.in](http://www.npcc.gov.in)

**UTTRAKHAND ZONAL OFFICE: 98-NEHRU COLONY, DEHRADUN,**  
**PIN-248001 (UTTARAKHAND) Phone: 0135-2675725**

**Ref. no. NPCC/PMGSY/THARALI/118**

**Dated: 02.11.2020**

To  
Chief engineer,  
URRDA, Near IT Park,  
Shahastradhara Road,  
Dehradun

**Subject: Submission of NPV etc. amount against online generated challan for the work  
Dewal kheta m/r km 10 to Mopata link (Stage-I) motor road regarding.**

**Online proposal no. FP/UK/ROAD/38366/2019**

Dear Sir,

Government of India has sanctioned In-Principle approval for the above subject work on dated 14/10/2020. For the same, online challan is generated against the NPV etc. amount.

We are hereby submitting the online challan to your good office and request you to do needful at the earliest please.

Thanking you and assure our best services at all the time.

**Encl. as above**

**Yours Faithfully**



**Manager**  
**PIU THARALI**  
**NPCC Limited**

**CC:**

**2) Zonal Manager, NPCC Limited, Uttarakhand zone – For your information please.**



| AGENCY COPY                                                                                                                         |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA                                                                                                |                                                                                                                 |
| Date : 29-10-2020                                                                                                                   |                                                                                                                 |
| Agency Name.                                                                                                                        | RES PMGSY<br>KARANPERAYAG                                                                                       |
| Application No.                                                                                                                     | 6138366832                                                                                                      |
| MoEF/SG File No.                                                                                                                    | 8B/UCP/06/85/2020/FC                                                                                            |
| Location.                                                                                                                           | UTTARANCHAL                                                                                                     |
| Address.                                                                                                                            | Karanprayag Chamoli                                                                                             |
| Amount(in Rs)                                                                                                                       | 4570259/-                                                                                                       |
| <b>Amount in Words</b> :Forty-Five Lakh Seventy Thousand Two Hundred and Fifty-Nine Rupees Only                                     |                                                                                                                 |
| <b>NEFT/RTGS to be made as per following details;</b>                                                                               |                                                                                                                 |
| Beneficiary Name:                                                                                                                   | UTTARANCHAL CAMPA                                                                                               |
| IFSC Code:                                                                                                                          | CORP0000371                                                                                                     |
| Pay to Account No.                                                                                                                  | 150896138366832<br><b>Valid only for this challan amount.</b>                                                   |
| Bank Name & Address:                                                                                                                | Corporation Bank<br>Lodhi Complex Branch,<br>Block 11,CGO Complex,<br>Phase I, Lodhi Road, New<br>Delhi -110003 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only</li> </ul> |                                                                                                                 |

| BANK COPY                                                                                                                           |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA                                                                                                |                                                                                                                 |
| Date : 29-10-2020                                                                                                                   |                                                                                                                 |
| Agency Name.                                                                                                                        | RES PMGSY<br>KARANPERAYAG                                                                                       |
| Application No.                                                                                                                     | 6138366832                                                                                                      |
| MoEF/SG File No.                                                                                                                    | 8B/UCP/06/85/2020/FC                                                                                            |
| Location.                                                                                                                           | UTTARANCHAL                                                                                                     |
| Address:                                                                                                                            | Karanprayag Chamoli                                                                                             |
| Amount(in Rs)                                                                                                                       | 4570259/-                                                                                                       |
| <b>Amount in Words</b> :Forty-Five Lakh Seventy Thousand Two Hundred and Fifty-Nine Rupees Only                                     |                                                                                                                 |
| <b>NEFT/RTGS to be made as per following details;</b>                                                                               |                                                                                                                 |
| Beneficiary Name:                                                                                                                   | UTTARANCHAL CAMPA                                                                                               |
| IFSC Code:                                                                                                                          | CORP0000371                                                                                                     |
| Pay to Account No.                                                                                                                  | 150896138366832<br><b>Valid only for this challan amount.</b>                                                   |
| Bank Name & Address:                                                                                                                | Corporation Bank<br>Lodhi Complex Branch,<br>Block 11,CGO Complex,<br>Phase I, Lodhi Road, New<br>Delhi -110003 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only</li> </ul> |                                                                                                                 |

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through  
Email: [helpdeskampa@corpbank.co.in](mailto:helpdeskampa@corpbank.co.in)

# ॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo\_badrinath\_uta@yahoo.co.in

Phone no-01372-252175

पत्रांक 1393/12-1, गोपेश्वर, दिनांक

सितम्बर 20/10/2020।

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,  
पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड-।  
कर्णप्रयाग।

विषय:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग के किमी0 10 से मोपाटा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.008 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- आपका पत्रांक एन0पी0सी0सी0/पी0एम0जी0एस0वाई0/117 दिनांक 16.10.2020.

महोदय,

आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय के पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/85/2020/एफ0सी0/1563 दिनांक 14.10.2020 से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा मांग पत्र हेतु लिखा गया है, उक्त मोटर मार्ग के सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार इस कार्यालय द्वारा मांग पत्र प्रेषित की जा रही है:-

- 1- शर्त सं0 03(क) के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 3.008 है0 गैर वानिकी भूमि अवनत वन भूमि कालोडाण्डा रि0 कक्ष सं0 3ब पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा एवं प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु देय धनराशि प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0 972/3-5-2(II) दिनांक 21.11.2017 में उल्लिखित वसूली वर्ष 2020-21 के लिये निर्धारित दर रू0 3,37,184.00 के अनुसार 6.016 है0/= 20,28,498.944 या रू0 20,28,499.00 मात्र जमा की जानी है।
2. शर्त सं0 4(क) के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरो के अनुसार 3.008 है0 दर रू0 8,45,000.00= रू0 25,41,760.00 जमा की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मांग पत्र को ऑन लाईन अपलोड करते हुए अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा सत्यापन होने पर ऑनलाईन चालान से ही धनराशि Ad-hoc कैम्पा में जमा करने के पश्चात् सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार संलग्नकों सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराये का कष्ट करे। ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या उच्च स्तर को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।



पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०६/८५/२०२०/एफ.सी. (1563)

दिनांक: 14/10/2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),  
उत्तराखण्ड शासन,  
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० फेज-XVIII के अंतर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के निर्माण हेतु 3.008 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: उप सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 756/x-3-20/1(80)/2020 दिनांक 29.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP-UK/ROAD/38366/2019 एवं उप सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाएँ चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 29.09.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार - जनपद - चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० फेज-XVIII के अंतर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के निर्माण हेतु 3.008 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

1. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण का सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।

2. प्रतिपूरक वनीकरण:

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.016 हे० अवनत वन भूमि कालौड़ाई रि० क० सं० 3 ब पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।

ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

3. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

4. शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक

30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.008 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

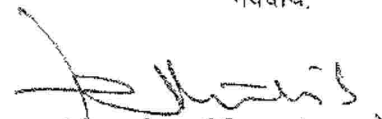
(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 179 trees including 30 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

6. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic.in/>) के माध्यम से अतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

7. State Govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.
8. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
10. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
11. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
12. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
13. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
15. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
16. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
17. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
18. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति का हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
19. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइट संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
20. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
21. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तथ्य सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
22. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
23. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

  
(टी0 सी0 नौटियाल)  
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(टी0 सी0 नौटियाल)  
उप महानिरीक्षक, वन (के0)



एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये  
जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-XVIII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

अभिशासक  
प्रयोक्ता एजेन्सी  
पी0एम0जी0एस0वाई0 कर्षण विभाग

## एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रस्ताव का नाम:- जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-XVIII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग के किमी0 10 से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग(L027)के निर्माण हेतु 3.008 है0 वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है:-

- 1- ईको-क्लास श्रेणी - V
- 2- हरियाला का घनत्व- 0.4
- 3- एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 रू0 8,45,000/-
- 4- आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल- 3.008 है0
- 5- कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 25,41,760.00

  
वन क्षेत्र अधिकारी,  
पूर्व पिण्डर देवाल  
प्रभागीय वन प्रभाग गोपेश्वर

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

# BAR CHART

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पीपएमजीएस0वाई0 फेज-XVIII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) किमी0 10(सुयालकोट) से सोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

|                                |            |             |              |              |              |        |        |              |        |              |        |              |        |        |              |        |        |             |        |        |        |             |              |        |              |        |             |        |        |             |        |        |              |        |        |             |        |   |
|--------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------------|--------|--------|-------------|--------|---|
| Chainage in Km                 | 0/0 TO 0/5 | 0/5 TO 0/10 | 0/10 TO 0/13 | 0/13 TO 0/18 | 0/18 TO 1/18 | 1000   | V.P    | 1/18 TO 1/28 | 250    | 1/28 TO 1/32 | 100    | 1/32 TO 2/10 | 450    | V.P    | 2/10 TO 2/28 | 450    | V.P    | 2/28 TO 3/2 | 350    | C      | 725    | 3/2 TO 3/31 | 3/31 TO 3/37 | 150    | 3/37 TO 3/40 | 75     | 3/40 TO 4/8 | 200    | V.P    | 4/8 TO 4/18 | 250    | RF     | 4/18 TO 4/37 | 475    | N      | 4/37 TO 5/4 | 175    |   |
| Land Length in Meter           | C          | N           | RF           | V.P          |              |        |        |              | N      | V.P          | N      | N            |        |        | V.P          | N      |        | N           | N      |        |        |             |              | N      | N            | N      | N           | N      |        | N           | N      |        | N            | N      |        | N           | N      | N |
| Land Detail With Colour Symbol |            |             |              |              |              |        |        |              |        |              |        |              |        |        |              |        |        |             |        |        |        |             |              |        |              |        |             |        |        |             |        |        |              |        |        |             |        |   |
| Name of Village                | Koteda     | Koteda      | Langdi       | Langdi       | Langdi       | Mopata | Mopata | Mopata       | Mopata | Mopata       | Mopata | Mopata       | Mopata | Mopata | Mopata       | Mopata | Mopata | Mopata      | Mopata | Mopata | Mopata | Mopata      | Mopata       | Mopata | Mopata       | Mopata | Mopata      | Mopata | Mopata | Mopata      | Mopata | Mopata | Mopata       | Mopata | Mopata | Mopata      | Mopata |   |

| संकेतांक | पुमि का प्रकार    | भूमि की लम्बाई (मीटर में) | चौड़ाई (मीटर में) | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) | क्षेत्रफल (हे० में) |
|----------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| V.P      | वन पंचायत भूमि    | 1925.00                   | 7.00              | 13475.00                  | 1.347500            |
| N        | नाप भूमि          | 125.00                    | 9.00              | 1125.00                   | 0.112500            |
|          |                   | 1575.00                   | 9.00              | 14175.00                  | 1.417500            |
|          |                   | 125.00                    | 7.00              | 875.00                    | 0.087500            |
|          | निश्चित सोयम भूमि | 725.00                    | 7.00              | 5075.00                   | 0.507500            |
|          |                   | 75.00                     | 7.00              | 525.00                    | 0.052500            |
|          |                   | 75.00                     | 7.00              | 525.00                    | 0.052500            |
| RF       | आरक्षित वन भूमि   | 475.00                    | 7.00              | 3325.00                   | 0.332500            |

| Dumping Zone      | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) | क्षेत्रफल (हे० में) |
|-------------------|---------------------------|---------------------|
| वन पंचायत भूमि    | 50.00                     | 0.045000            |
|                   | 200.00                    | 0.180000            |
|                   | 83.00                     | 0.066400            |
|                   | 51.25                     | 0.041000            |
| नाप भूमि          | 150.00                    | 0.120000            |
|                   | 100.00                    | 0.080000            |
|                   | 77.00                     | 0.061600            |
| निश्चित सोयम भूमि | 200.00                    | 0.200000            |
|                   | 75.00                     | 0.075000            |
|                   | कुल भूमि                  | 4.779000            |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| कुल वन पंचायत भूमि    | 1.63890 हे० |
| कुल नाप भूमि          | 1.77100 हे० |
| कुल निश्चित सोयम भूमि | 0.98410 हे० |
| कुल आरक्षित वन भूमि   | 0.38500 हे० |
| कुल भूमि              | 4.7790 हे०  |

हस्ताक्षर हेतु आवेदित वनभूमि 3.008Hect

जिला अधिकारी  
चमोली

जिला अधिकारी  
चमोली  
जिला अधिकारी  
चमोली  
जिला अधिकारी  
चमोली

Assistant Engineer  
R.V.M. MGSY  
Kailash Prayag-1

Executive Engineer  
R.V.M. PMGSY  
Kailash Prayag-1

जिला अधिकारी  
चमोली

जिला अधिकारी  
चमोली

जिला अधिकारी  
चमोली

## न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० फेज-XVIII के अन्तर्गत छेवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि०मी०-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

ह०/-  
अभिजासी अभियन्ता  
प्रमाण निर्माण विभाग  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
प्रयाग-कर्मचारी

सत्यापित  
4/5

वन क्षेत्राधिकारी  
पूर्वी विण्डर रेंज देवाल  
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

ह०/-  
प्रभागीय वनाधिकारी  
प्रभागीय वनाधिकारी  
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर  
(चमोली)

Assistant Engineer  
R WD. PMGSY  
Karanprayag-1



## प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-18 के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग के कि0मी0 10(सुयालकोट) से मोणटा लिक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.008 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 08/01/2019 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

| क्रस | भूमि की श्रेणी  | वनब्लाक/ कम्पार्टमेंट<br>/खसरा संख्या | प्रजाति | वैज्ञानिक नाम               | व्यास वर्ग |       |       |       |       |       |       |       |       |            |   | योग |
|------|-----------------|---------------------------------------|---------|-----------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|---|-----|
|      |                 |                                       |         |                             | 0-10       | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90 से अधिक |   |     |
| 1    | आरक्षित वन भूमि |                                       | तुन     | Toonaciliata Roem           | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | - | 0   |
|      |                 |                                       | चीड़    | Pinus roxburhii Sargnt      | -          | 1     | 11    | 8     | 8     | 8     | 11    | 2     | -     | 1          | - | 50  |
|      |                 |                                       | बांज    | Quercus glaucaThunb         | 4          | -     | 3     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | - | 7   |
|      |                 |                                       | बुरांश  | Rhododendron arboreum       | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | - | 0   |
|      |                 |                                       | अंग्यार | lyoni Ovalifolia(well Drud) | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | - | 0   |
|      |                 |                                       | काफल    | Pinus roxburhii Sargnt      | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | - | 0   |
|      |                 |                                       |         | कुल योग                     | 4          | 1     | 14    | 8     | 8     | 8     | 11    | 2     | 0     | 1          | - | 57  |
| 2    | वन पंचायत भूमि  |                                       | चीड़    | Pinus roxburhii Sargnt      | 7          | 3     | 11    | 1     | 1     | 6     | 5     | 3     | 2     | 3          | - | 42  |
|      |                 |                                       | बांज    | Quercus glaucaThunb         | 3          | 3     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | - | 6   |
|      |                 |                                       | भमारू   |                             | -          | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | - | 1   |
|      |                 |                                       | अंग्यार | lyoni Ovalifolia(well Drud) | 6          | 1     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | - | 8   |
|      |                 |                                       |         | कुल योग                     | 16         | 8     | 12    | 1     | 1     | 6     | 5     | 3     | 2     | 3          | - | 57  |
| 3    | सिविल सोयम भूमि |                                       | तुन     | Toonaciliata Roem           | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -          | - | 1   |
|      |                 |                                       | चीड़    | Pinus roxburhii Sargnt      | 1          | 4     | 3     | 2     | 6     | 4     | 3     | 4     | 1     | 1          | - | 29  |
|      |                 |                                       | कचनार   |                             | -          | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | - | 1   |
|      |                 |                                       | बांज    | Quercus glaucaThunb         | 7          | 3     | 4     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | - | 15  |
|      |                 |                                       | बुरांश  | Rhododendron arboreum       | -          | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | - | 1   |
|      |                 |                                       | अंग्यार | lyoni Ovalifolia(well Drud) | -          | 4     | 3     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | - | 8   |
|      |                 |                                       | खागसा   |                             | 1          | 1     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | - | 3   |
|      |                 |                                       | उत्तीस  |                             | -          | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | - | 1   |

| क्रसं | भूमि की श्रेणी | वनब्लाक / कम्पार्टमेंट<br>/ खसरा संख्या | प्रजाति | वैज्ञानिक नाम                      | व्यास वर्ग |       |       |       |       |       |       |       |       |            |     | योग |
|-------|----------------|-----------------------------------------|---------|------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-----|-----|
|       |                |                                         |         |                                    | 0-10       | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90 से अधिक |     |     |
|       |                |                                         | फल्याट  |                                    | -          | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 1   |     |
|       |                |                                         | अखरोट   |                                    | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1          | 1   |     |
|       |                |                                         | भमारू   |                                    | -          | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 1   |     |
|       |                |                                         | काफल    | <i>Pinus roxburghii Sargent</i>    | 1          | 1     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 3   |     |
| 4     | नाप भूमि       |                                         |         | कुल योग                            | 10         | 16    | 12    | 6     | 6     | 4     | 3     | 5     | 1     | 2          | 65  |     |
|       |                |                                         | मेहल    |                                    | -          | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 1   |     |
|       |                |                                         | चीड     | <i>Pinus roxburghii Sargent</i>    | -          | 1     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 2   |     |
|       |                |                                         | बांज    | <i>Quercus glauca Thunb</i>        | -          | 2     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 2   |     |
|       |                |                                         | बुरांश  | <i>Rhododendron arboreum</i>       | 1          | 2     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 3   |     |
|       |                |                                         | अंगार   | <i>lyoni Ovalifolia(well Drud)</i> | -          | 2     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 2   |     |
|       |                |                                         | काफल    | <i>Pinus roxburghii Sargent</i>    | 1          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 1   |     |
|       |                |                                         |         | कुल योग                            | 2          | 8     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0          | 11  |     |
|       |                |                                         |         | कुल महा योग                        | 32         | 33    | 38    | 16    | 15    | 18    | 19    | 10    | 3     | 6          | 190 |     |

व००५०

ह०/-

राजि अधिकारी

ह०/-

प्रभागीय वनाधिकारी  
प्रभागीय कन्नाधिकारी  
बद्रीनाथ दत्त प्रभाग गोपबंद  
(चमेली)

वन क्षेत्र अधिकारी  
पुनर् विनियमन  
वन विभाग गोपबंद

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-18 के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग के कि0मी0 10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.008 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

| क्र0स0                                 | भूमि का प्रकार                                                   | व्यास वर्ग |       |       |       |       |       |       |       |       |            | योग |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-----|
|                                        |                                                                  | 0-10       | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90 से अधिक |     |
| 1                                      | आरक्षित वन भूमि                                                  | 4          | 1     | 14    | 8     | 8     | 8     | 11    | 2     | 0     | 1          | 57  |
| 2                                      | वन पंचायत                                                        | 16         | 8     | 12    | 1     | 1     | 6     | 5     | 3     | 2     | 3          | 57  |
| 3                                      | सिविल सोयम भूमि                                                  | 10         | 16    | 12    | 6     | 6     | 4     | 3     | 5     | 1     | 2          | 65  |
| 4                                      | नाप भूमि                                                         | 2          | 8     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0          | 11  |
|                                        | कुल योग (नाप भूमि)                                               | 2          | 8     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0          | 11  |
|                                        | कुल वन योग (आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम भूमि तथा वन पंचायत भूमि) | 30         | 25    | 38    | 15    | 15    | 18    | 19    | 10    | 3     | 6          | 179 |
| कुल प्रभावित होने वाले वृक्ष की संख्या |                                                                  |            |       |       |       |       |       |       |       |       |            | 190 |

ह0/-

राजि अधिकारी

वन क्षेत्र अधिकारी

पुर्वा विवर देवाल

हार्दिक वन प्रशास कोषक

ह0/-

प्रभागीय वन अधिकारी  
प्रभागीय वन अधिकारी  
बुद्धिमान वन प्रशास कोषक  
(चमोली)

परियोजना का नाम :-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-18 के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग के कि0मी0 10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.008 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।

| क्र.सं | भूमि की श्रेणी  | विद्यमान वृक्षों की संख्या | वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या | विवरण                                                                 |
|--------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1      | आरक्षित वन भूमि | 57                         | 57                                               | चीड़ व बांज                                                           |
| 2      | वन पंचायत       | 57                         | 57                                               | चीड़, बांज, भमारु व अंग्यार                                           |
| 3      | सिविल सोयम      | 65                         | 65                                               | चीड़, बांज, भमारु, अंग्यार, काफल, खागसा, उत्तीस, फल्याट, बुरांश व तुन |
|        | योग             | 179                        | 179                                              | उपरोक्तानुसार                                                         |
| 4      | नाप भूमि        | 11                         | 11                                               | चीड़, बांज, अंग्यार, काफल, बुरांश व मेहल                              |
|        | कुल योग         | 190                        | 190                                              | उपरोक्तानुसार                                                         |

हस्ताक्षर  
1 व० देवा

ह०/-

राजि अधिकारी

वन क्षेत्र अधिकारी  
पुर्वा विन्डर देवाल  
प्रभुनाथ वन पंचायत गोपेश्वर

हस्ताक्षर

ह०/-

प्रभुनाथ वन पंचायत  
प्रभुनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर  
(चमोली)



परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-18 के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग के कि0मी0 10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.008 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बाँज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

| कसं                        | भूमि की श्रेणी  | वनब्लाक / कम्पार्टमेन्ट / खसरा संख्या | प्रजाति | वैज्ञानिक नाम                                                         | व्यास वर्ग |       |       |       |       |       |       |       |       |            | योग |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-----|
|                            |                 |                                       |         |                                                                       | 0-10       | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90 से अधिक |     |
| 1                          | आरक्षित वन भूमि | मेहलचौरी कक्ष सं0 19                  | बाँज    | <i>Quercus leucotrichophora Camus ex Bahadur (syn.Q. incana Roxb)</i> | 4          | -     | 3     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 7   |
| 2                          | सिविल सोयम भूमि | मेहलचौरी कक्ष सं0 19                  | बाँज    | <i>Quercus leucotrichophora Camus ex Bahadur (syn.Q. incana Roxb)</i> | 7          | 3     | 4     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 15  |
| 3                          | वन पंचायत भूमि  | मेहलचौरी कक्ष सं0 19                  | बाँज    | <i>Quercus leucotrichophora Camus ex Bahadur (syn.Q. incana Roxb)</i> | 3          | 3     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 6   |
| कुल योग वन भूमि            |                 |                                       |         |                                                                       | 14         | 6     | 7     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0          | 28  |
| 4                          | नाप भूमि        | स्यूणी तल्ली                          | बाँज    | <i>Quercus leucotrichophora Camus ex Bahadur (syn.Q. incana Roxb)</i> | -          | 2     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 2   |
| कुल योग नाप भूमि           |                 |                                       |         |                                                                       | 0          | 2     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0          | 2   |
| कुल बाँज वृक्षों की संख्या |                 |                                       |         |                                                                       | 14         | 8     | 7     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0          | 30  |

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बाँज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

प्रमाणित  
०८५०

ह0/-

राजि अधिकारी

वन क्षेत्र अधिकारी  
पुष्प पिन्डर देवाल  
वर्तमान वन प्रशासक गोपेन्द्र

ह0/-

प्रभागीय वनाधिकारी  
प्रभागीय वनाधिकारी  
अतिरिक्त वन प्रशासक गोपेन्द्र  
(चमोली)

परियोजना का नाम :-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-18 के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग के कि0मी0 10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.008 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन।

आरक्षित वन भूमि / सिविल सोयम भूमि / वन पंचायत भूमि / नाप भूमि

| क्र0सं0 | वृक्ष प्रजाति का नाम | व्यास वर्ग | वृक्षों की संख्या | दर       | कुल मूल्य  |
|---------|----------------------|------------|-------------------|----------|------------|
| 1       | चीड़                 | 0-10       | 8                 | 101.00   | 808.00     |
|         |                      | 10-20      | 5                 | 270.00   | 1350.00    |
|         |                      | 20-30      | 16                | 674.00   | 10784.00   |
|         |                      | 30-40      | 9                 | 2618.00  | 23562.00   |
|         |                      | 40-50      | 23                | 5697.00  | 131031.00  |
|         |                      | 50-60      | 10                | 9624.00  | 96240.00   |
|         |                      | 60-70      | 19                | 14832.00 | 281808.00  |
|         |                      | 70-80      | 9                 | 20966.00 | 188694.00  |
|         |                      | 80-90      | 3                 | 26809.00 | 80427.00   |
|         |                      | 90 से अधिक | 5                 | 29495.00 | 147475.00  |
| 2       | बांज                 | 0-10       | 21                | 62.92    | 1321.32    |
|         |                      | 10-20      | 11                | 183.15   | 2014.65    |
|         |                      | 20-30      | 19                | 284.27   | 5401.13    |
|         |                      | 30-40      | 1                 | 612.36   | 612.36     |
| 3       | बुरांश               | 0-10       | 1                 | 62.92    | 62.92      |
|         |                      | 10-20      | 2                 | 101.12   | 202.24     |
|         |                      | 30-40      | 1                 | 202.25   | 202.25     |
| 4       | काफल                 | 0-10       | 2                 | 62.92    | 125.84     |
|         |                      | 10-20      | 1                 | 101.12   | 101.12     |
|         |                      | 20-30      | 1                 | 202.25   | 202.25     |
| 5       | भमारु                | 10-20      | 2                 | 101.12   | 202.24     |
| 6       | अंग्यार              | 0-10       | 6                 | 62.92    | 377.52     |
|         |                      | 10-20      | 6                 | 101.12   | 606.72     |
|         |                      | 20-30      | 2                 | 202.25   | 404.50     |
|         |                      | 30-40      | 1                 | 492.14   | 492.14     |
| 7       | फल्याट               | 10-20      | 1                 | 101.12   | 101.12     |
| 8       | उत्तीस               | 20-30      | 1                 | 416.86   | 416.86     |
| 9       | मेहल                 | 10-20      | 1                 | 101.12   | 101.12     |
| 10      | तुन                  | 70-80      | 1                 | 18760.75 | 18760.75   |
| 11      | अखरोट                | 90 से अधिक | 1                 | 25842.80 | 25842.80   |
| 12      | कचनार                | 10-20      | 1                 | 101.12   | 101.12     |
|         |                      | कुल योग    | 190               | Total    | 1019831.97 |

प्रभागीय कनाधिकारी  
बदीनाथ दा प्रभाग गोपेश्वर  
(चमोली)

ह0  
वनक्षेत्राधिकारी

वन क्षेत्र अधिकारी  
पुर्वा दिग्दर्श देवाल  
चमोली वन प्रभाग गोपेश्वर

अभिनीष  
21/9



प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत केवाला खेत मोटर मार्ग 10 किमी से (सुवाल कोट) मोपाटा मोटर मार्ग जो 5.100 किमी मोटर मार्ग संयुक्त निर्माण, (पेटों की गणना की सूची) बूड़ो की गणना 5.100 किमी लम्बाई 87 मी चौड़ाई में की गयी

| क्षेत्र का नाम     | वृक्षों की प्रजाति | 0-10 |     | 10-20 |    | 20-30 |    | 30-40 |    | 40-50 |    | 50-60 |    | 60-70 |    | 70-80 |    | 80-90 |    | 90 से उपर |    | योग |     | कुल योग |
|--------------------|--------------------|------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-----------|----|-----|-----|---------|
|                    |                    | का०  | ना० | का    | ना | का    | ना | का    | ना | का    | ना | का    | ना | का    | ना | का    | ना | का    | ना | का        | ना | का  | ना  |         |
| कोटेडा सिविल       | चीड़               | —    | —   | —     | 2  | —     | 2  | —     | 1  | 2     | —  | 1     | —  | —     | —  | 2     | —  | —     | —  | —         | —  | 5   | 5   | 10      |
|                    | कचनार              | —    | —   | —     | 1  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —         | 0  | 1   | 1   |         |
|                    | अखरोट              | —    | —   | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | 1         | 0  | 1   | 1   |         |
|                    | योग:-              | 0    | 0   | 0     | 3  | 0     | 2  | 0     | 1  | 2     | 0  | 1     | 0  | 0     | 0  | 2     | 0  | 0     | 0  | 0         | 1  | 5   | 7   | 12      |
| देवसारी गा क.न. 21 | चीड़               | —    | —   | —     | —  | —     | —  | 5     | 2  | —     | —  | —     | —  | 4     | —  | —     | —  | —     | —  | 1         | —  | 10  | 2   | 12      |
|                    | बांज               | —    | —   | —     | —  | —     | 3  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —         | 0  | 3   | 3   |         |
|                    | योग:-              | 0    | 0   | 0     | 0  | 0     | 3  | 5     | 2  | 0     | 0  | 0     | 0  | 4     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 1         | 0  | 10  | 5   | 15      |
| भौराचक सिविल       | चीड़               | —    | —   | —     | —  | —     | —  | —     | —  | 1     | 1  | 1     | —  | 3     | —  | —     | —  | 1     | —  | —         | —  | 6   | 1   | 7       |
|                    | काफल               | —    | —   | —     | 1  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —         | 0  | 1   | 1   |         |
|                    | अंग्यार            | —    | —   | —     | —  | —     | 1  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —         | 0  | 1   | 1   |         |
|                    | बांज               | —    | —   | —     | —  | —     | 1  | —     | 1  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —         | 0  | 2   | 2   |         |
|                    | योग:-              | 0    | 0   | 0     | 1  | 0     | 2  | 0     | 1  | 1     | 1  | 1     | 0  | 3     | 0  | 0     | 0  | 1     | 0  | 0         | 0  | 6   | 5   | 11      |
|                    | मौपाटा सिविल       | चीड़ | —   | 1     | —  | 2     | —  | 1     | 1  | —     | —  | 2     | 2  | —     | —  | —     | 2  | —     | —  | —         | 1  | —   | 6   | 6       |
| अंग्यार            |                    | —    | —   | —     | 4  | —     | 2  | —     | 1  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —         | 0  | 7   | 7   |         |
| काफल               |                    | —    | 1   | —     | —  | —     | 1  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —         | 0  | 2   | 2   |         |
| बांज               |                    | —    | 7   | —     | 3  | —     | 3  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —         | 0  | 13  | 13  |         |
| खागसा              |                    | —    | 1   | —     | 1  | —     | —  | —     | 1  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —         | 0  | 3   | 3   |         |
| उत्तीस             |                    | —    | —   | —     | —  | —     | 1  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —         | 0  | 1   | 1   |         |
| फल्याट             |                    | —    | —   | —     | 1  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —         | 0  | 1   | 1   |         |
| भमारु              |                    | —    | —   | —     | 1  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —         | 0  | 1   | 1   |         |
| बुरांश             |                    | —    | —   | —     | —  | —     | —  | —     | 1  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —         | 0  | 1   | 1   |         |
| तुन                |                    | —    | —   | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | 1     | —  | —     | —  | —         | 0  | 1   | 1   |         |
| योग:-              |                    | 0    | 10  | 0     | 12 | 0     | 8  | 1     | 3  | 0     | 2  | 2     | 0  | 0     | 0  | 2     | 1  | 0     | 0  | 1         | 0  | 6   | 36  | 42      |
| मौपाटा नाप         | काफल               | —    | 1   | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —         | 0  | 1   | 1   |         |
|                    | बुरांश             | —    | 1   | —     | 2  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —         | 0  | 3   | 3   |         |
|                    | मेहल               | —    | —   | —     | 1  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —         | 0  | 1   | 1   |         |
|                    | बांज               | —    | —   | —     | 2  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —         | 0  | 2   | 2   |         |
|                    | अंग्यार            | —    | —   | —     | 2  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —         | 0  | 2   | 2   |         |
|                    | चीड़               | —    | —   | —     | 1  | —     | —  | —     | 1  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —         | 0  | 2   | 2   |         |
|                    | योग:-              | 0    | 2   | 0     | 8  | 0     | 0  | 0     | 1  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0         | 0  | 11  | 11  |         |
| मौपाटा वन पंचायत   | चीड़               | —    | 7   | —     | 3  | —     | 11 | —     | 1  | —     | 1  | 6     | —  | 5     | —  | 3     | —  | 2     | —  | 3         | —  | 19  | 23  | 42      |
|                    | बांज               | —    | 3   | —     | 3  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —         | 0  | 6   | 6   |         |
|                    | भमारु              | —    | —   | —     | 1  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —         | 0  | 1   | 1   |         |
|                    | अंग्यार            | —    | 6   | —     | 1  | —     | 1  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —         | 0  | 8   | 8   |         |
|                    | योग:-              | 0    | 16  | 0     | 8  | 0     | 12 | 0     | 1  | 0     | 1  | 6     | 0  | 5     | 0  | 3     | 0  | 2     | 0  | 3         | 0  | 19  | 38  | 57      |
| देवसीर गा क.न. 5   | चीड़               | —    | —   | —     | 1  | —     | 6  | 1     | —  | 4     | 2  | 1     | —  | 3     | —  | 2     | —  | —     | —  | —         | —  | 11  | 9   | 20      |
|                    | योग:-              | 0    | 0   | 0     | 1  | 0     | 6  | 1     | 0  | 4     | 2  | 1     | 0  | 3     | 0  | 2     | 0  | 0     | 0  | 0         | 0  | 11  | 9   | 20      |
| देवसीर गा क.न. 2   | चीड़               | —    | —   | —     | —  | —     | 5  | —     | —  | 2     | —  | 5     | 2  | 4     | —  | —     | —  | —     | —  | —         | —  | 11  | 7   | 18      |
|                    | बांज               | —    | 4   | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —     | —  | —         | 0  | 4   | 4   |         |
|                    | योग:-              | 0    | 4   | 0     | 0  | 0     | 5  | 0     | 0  | 2     | 0  | 5     | 2  | 4     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0         | 0  | 11  | 11  | 22      |
| कल योग:-           |                    | 0    | 32  | 0     | 33 | 0     | 38 | 7     | 9  | 9     | 6  | 16    | 2  | 19    | 0  | 9     | 1  | 3     | 0  | 5         | 1  | 68  | 122 | 190     |

(जमानसिंह)  
(जमानसिंह रावल)  
वन देवा देवा  
कुरुवा देवा  
पूरा देवा



प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत डेवाल रिला मोटर मार्ग 10 कि०मी० से  
(सुमालकोर) मोपारा मोटर मार्ग ल० 5.00 कि०मी० सम्पुर्ण निरीक्षण (पैडी की गणना सही)  
कुडो की गणना 5.00 कि०मी० लम्बाई x 7मी० चौड़ाई से की जायेगी

क्र० 50 (1)

| क्र० | प्रजाति    | आस         | का/मी | क्र० | प्रजाति | आस      | का/मी | क्र० | प्रजाति          | आस      | का/मी |
|------|------------|------------|-------|------|---------|---------|-------|------|------------------|---------|-------|
| 1    | सिविल      | भूमिकोरेडा | का    | 42   | अंमर    | 10-20   | ना    | 92   | मोपारा वन पंचायत |         |       |
| 2    | चीड        | 70-80      | का    | 43   | "       | 10-20   | ना    | 93   | चीड              | 20-30   | ना    |
| 3    | "          | 40-50      | का    | 44   | "       | 10-20   | ना    | 94   | "                | 20-30   | ना    |
| 4    | "          | 70-80      | का    | 45   | "       | 10-20   | ना    | 95   | "                | 20-30   | ना    |
| 5    | "          | 10-20      | ना    | 46   | काफल    | 20-30   | ना    | 96   | "                | 20-30   | ना    |
| 6    | "          | 40-50      | का    | 47   | बांज    | 20-30   | ना    | 97   | "                | 20-30   | ना    |
| 7    | कचनार      | 10-20      | ना    | 48   | "       | 20-30   | ना    | 98   | "                | 20-30   | ना    |
| 8    | चीड        | 30-40      | ना    | 49   | रकागसा  | 0-10    | ना    | 99   | "                | 50-60   | का    |
| 9    | "          | 20-30      | ना    | 50   | "       | 10-20   | ना    | 100  | "                | 50-60   | का    |
| 10   | "          | 50-60      | का    | 51   | "       | 30-40   | ना    | 101  | बांज             | 0-10    | ना    |
| 11   | "          | 20-30      | ना    | 52   | बांज    | 10-20   | ना    | 102  | "                | 0-10    | ना    |
| 12   | "          | 10-20      | ना    | 53   | चीड     | 70-80   | का    | 103  | "                | 0-10    | ना    |
| 13   | अक्कोर     | 90सेउपर    | ना    | 54   | बांज    | 10-20   | ना    | 104  | भमाक             | 10-20   | ना    |
| 14   | सावित्रिका | न० 21      | ना    | 55   | उत्तास  | 20-30   | ना    | 105  | चीड              | 30-40   | ना    |
| 15   | चीड        | 30-40      | का    | 56   | काण्मार | 10-20   | ना    | 106  | "                | 20-30   | ना    |
| 16   | "          | 30-40      | का    | 57   | भमाक    | 10-20   | ना    | 107  | "                | 70-80   | का    |
| 17   | "          | 30-40      | का    | 58   | बांज    | 0-10    | ना    | 108  | अंमर             | 20-30   | ना    |
| 18   | "          | 30-40      | का    | 59   | चीड     | 0-10    | ना    | 109  | अंमर             | 0-10    | ना    |
| 19   | "          | 30-40      | का    | 60   | पुंराश  | 30-40   | ना    | 110  | "                | 0-10    | ना    |
| 20   | "          | 30-40      | का    | 61   | बांज    | 20-30   | ना    | 111  | "                | 10-20   | ना    |
| 21   | "          | 30-40      | का    | 62   | बांज    | 10-20   | ना    | 112  | चीड              | 80-90   | का    |
| 22   | "          | 30-40      | ना    | 63   | काफल    | 0-10    | ना    | 113  | अंमर             | 0-10    | ना    |
| 23   | "          | 30-40      | ना    | 64   | चीड     | 50-60   | का    | 114  | अंमर             | 0-10    | ना    |
| 24   | "          | 60-70      | का    | 65   | "       | 50-60   | का    | 115  | चीड              | 60-70   | का    |
| 25   | "          | 60-70      | का    | 66   | "       | 10-20   | ना    | 116  | "                | 70-80   | का    |
| 26   | "          | 60-70      | का    | 67   | "       | 40-50   | ना    | 117  | "                | 0-10    | ना    |
| 27   | "          | 60-70      | का    | 68   | "       | 40-50   | ना    | 118  | "                | 0-10    | ना    |
| 28   | "          | 60-70      | का    | 69   | "       | 70-80   | का    | 119  | "                | 0-10    | ना    |
| 29   | "          | 90सेउपर    | का    | 70   | अंमर    | 20-30   | ना    | 120  | "                | 0-10    | ना    |
| 30   | बांज       | 20-30      | ना    | 71   | चीड     | 20-30   | ना    | 121  | "                | 0-10    | ना    |
| 31   | "          | 20-30      | ना    | 72   | बांज    | 0-10    | ना    | 122  | "                | 0-10    | ना    |
| 32   | "          | 20-30      | ना    | 73   | "       | 0-10    | ना    | 123  | "                | 0-10    | ना    |
| 33   | मोराचक     | सिविल      | ना    | 74   | "       | 0-10    | ना    | 124  | "                | 80-90   | का    |
| 34   | चीड        | 50-60      | का    | 75   | "       | 0-10    | ना    | 125  | "                | 70-80   | का    |
| 35   | "          | 60-70      | का    | 76   | "       | 0-10    | ना    | 126  | "                | 50-60   | का    |
| 36   | "          | 60-70      | का    | 77   | "       | 0-10    | ना    | 127  | "                | 60-70   | का    |
| 37   | "          | 60-70      | का    | 78   | चीड     | 10-20   | ना    | 128  | अंमर             | 0-10    | ना    |
| 38   | "          | 60-70      | का    | 79   | "       | 90सेउपर | का    | 129  | "                | 0-10    | ना    |
| 39   | "          | 80-90      | का    | 80   | तुन     | 70-80   | ना    | 130  | चीड              | 60-70   | का    |
| 40   | काफल       | 10-20      | ना    | 81   | मोपारा  | ना      | ना    | 131  | "                | 90सेउपर | का    |
| 41   | अंमर       | 20-30      | ना    | 82   | काफल    | 0-10    | ना    | 132  | "                | 90सेउपर | का    |
| 42   | बांज       | 30-40      | ना    | 83   | पुंराश  | 0-10    | ना    | 133  | "                | 20-30   | ना    |
| 43   | चीड        | 40-50      | का    | 84   | "       | 10-20   | ना    | 134  | "                | 50-60   | का    |
| 44   | बांज       | 20-30      | ना    | 85   | मेहल    | 10-20   | ना    | 135  | "                | 10-20   | ना    |
| 45   | चीड        | 40-50      | का    | 86   | बांज    | 10-20   | ना    | 136  | "                | 40-50   | ना    |
| 46   | मोपारा     | सिविल      | ना    | 87   | पुंराश  | 10-20   | ना    | 137  | "                | 20-30   | ना    |
| 47   | चीड        | 30-40      | का    | 88   | बांज    | 10-20   | ना    | 138  | बांज             | 10-20   | ना    |
| 48   | अंमर       | 20-30      | ना    | 89   | अंमर    | 10-20   | ना    | 139  | "                | 10-20   | ना    |
| 49   | अंमर       | 30-40      | ना    | 90   | चीड     | 10-20   | ना    | 140  | "                | 10-20   | ना    |
| 50   | अंमर       | 30-40      | ना    | 91   | चीड     | 30-40   | ना    |      |                  |         |       |



| क्र. सं.          | प्रजाति | आस    | का/ना | क्र. सं. | प्रजाति | आस/का | का/ना |
|-------------------|---------|-------|-------|----------|---------|-------|-------|
| 141-              | चीड     | 60-70 | का    | 181-     | चीड     | 50-60 | ना    |
| 142-              | "       | 50-60 | का    | 182-     | "       | 20-30 | ना    |
| 143-              | "       | 10-20 | ना    | 183-     | "       | 20-30 | ना    |
| 144-              | "       | 20-30 | ना    | 184-     | "       | 20-30 | ना    |
| 145-              | "       | 60-70 | का    | 185-     | "       | 40-50 | का    |
| 146-              | "       | 10-20 | ना    | 186-     | "       | 40-50 | का    |
| 147-              | "       | 0-10  | ना    | 187-     | "       | 60-70 | का    |
| 148-              | "       | 20-30 | ना    | 188-     | "       | 50-60 | का    |
| डेवसरी II क० न०-5 |         |       |       | 189-     | "       | 50-60 | का    |
| 149-              | चीड     | 70-80 | का    | 190-     | "       | 60-70 | का    |
| 150-              | "       | 60-70 | का    |          |         |       |       |
| 151-              | "       | 50-60 | का    |          |         |       |       |
| 152-              | "       | 40-50 | का    |          |         |       |       |
| 153-              | "       | 70-80 | का    |          |         |       |       |
| 154-              | "       | 60-70 | का    |          |         |       |       |
| 155-              | "       | 60-70 | का    |          |         |       |       |
| 156-              | "       | 40-50 | का    |          |         |       |       |
| 157-              | "       | 20-30 | ना    |          |         |       |       |
| 158-              | "       | 40-50 | का    |          |         |       |       |
| 159-              | "       | 40-50 | का    |          |         |       |       |
| 160-              | "       | 30-40 | का    |          |         |       |       |
| 161-              | "       | 20-30 | ना    |          |         |       |       |
| 162-              | "       | 10-20 | ना    |          |         |       |       |
| 163-              | "       | 20-30 | ना    |          |         |       |       |
| 164-              | "       | 40-50 | ना    |          |         |       |       |
| 165-              | "       | 20-30 | ना    |          |         |       |       |
| 166-              | "       | 20-30 | ना    |          |         |       |       |
| 167-              | "       | 20-30 | ना    |          |         |       |       |
| 168-              | "       | 40-50 | ना    |          |         |       |       |

जमानसिद्ध  
का  
(जमानसिद्धा)  
कुन देरागा बोरगाड/  
बुधवार पाटा अड्डा  
प्र० पि० शा० देवालय

|                   |      |       |    |
|-------------------|------|-------|----|
| डेवसरी II क० न०-2 |      |       |    |
| 169-              | चीड  | 50-60 | का |
| 170-              | वांज | 0-10  | ना |
| 171-              | "    | 0-10  | ना |
| 172-              | चीड  | 60-70 | का |
| 173-              | "    | 60-70 | का |
| 174-              | वांज | 0-10  | ना |
| 175-              | "    | 0-10  | ना |
| 176-              | चीड  | 20-30 | ना |
| 177-              | "    | 20-30 | ना |
| 178-              | "    | 50-60 | ना |
| 179-              | "    | 50-60 | का |
| 180-              | "    | 50-60 | का |

FORM-I  
(For Linear Projects)  
Government Of Uttarakhand  
Office of the District Collector, Chamoli

Dated- 25.02.19

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.008 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Rural Development Department, Uttarakhand for Construction of Dewal Kheta MR Km-10(Syualkot) to Mopata Link Motor Road under PMGSY in Chamoli district** falls within jurisdiction of village **Mopata (Five Settalements- Mopata, Rol, Tanwa, Bhora, Ezer) in Tharali Tehsil.**

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.008Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha(s) have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

Signature

Name: Swati S Bhadoriya (IAS)

जिला अधिकारी

चमोली

प्रभागीय यन्त्राधिकारी  
बर्दनाथ दन प्रभाग गोपेश्वर  
(चमोली)

# Office of the District Collector,

District-Chamoli (Uttarakhand)

## Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of **Swati S Badhoriya (IAS)**, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on dated 25.02.19 At Chamoli in which the application claiming rights in **Mopata (Five Settalements- Mopata, Rol, Tanwa, Bhora, Ezer) village in Tharali Tehsil**, area measuring **3.008 Hectares** for the **Construction of Dewal Kheta MR Km-10(Suyalkot) to Mopata Link Motor Road under PMGSY in Chamoli** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Tharali Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

  
District Social Welfare Officer  
Chamoli

  
**जिला अधिकारी**  
District Magistrate - cum -  
**चमोली**  
Chairman, District Level  
Committee, Chamoli

  
**प्रमाणीय यन्त्राधिकारी**  
बद्रीनाथ दन प्रमाण गोपेस्वर  
(चमोली)



(15)

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज- XVII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि0मी0-10 से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी,  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

**उपखण्ड स्तरीय समिति- थराली.**

उपखण्ड देवाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु कुल 0.9841 है0 सिविल भूमि 0.645 है0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु तथा 0.3366 है0 डम्पिंग जोन हेतु), कुल 1.6389 है0 वन पंचायत भूमि 0.3475 है0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु तथा 0.2914 है0 डम्पिंग जोन हेतु) तथा कुल 0.385 है0 आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 3.008 है0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील- थराली ) की दिनांक 20/02/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उपजिलाधिकारी, एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

|   |                        |                                           |            |
|---|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1 | श्री परमानन्द राम      | उपजिलाधिकारी                              | अध्यक्ष    |
| 2 | श्री तिलोक सिंह बिष्ट  | वन क्षेत्र अधिकारी<br>पूर्वी पिण्डर देवाल | सदस्य      |
| 3 | श्री विपिन राणा        | सह. स. क. अधिकारी                         | सदस्य/सचिव |
| 4 | श्री हेमन्त सिंह बिष्ट | सदस्य के.प. डंगलोली                       | सदस्य      |
| 5 | श्री मदन सिंह पटौली    | सदस्य के.प. बलाठा                         | सदस्य      |
| 6 | श्री नीरज पुरोहित      | रा.उ. नि. नलभुरा                          | सदस्य      |
| 7 | श्री                   |                                           | सदस्य      |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग परियोजना हेतु 3.008 है0 भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्य के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

क्रमशः.....2

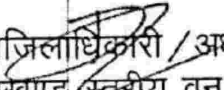
(2)

सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी श्री निलोत्त सिंह बिष्ट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि०मी०-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 3.008 है० वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्तयावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

  
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-थराली  
जनपद-चमोली

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

  
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-थराली  
जनपद-चमोली

परियोजना का नाम:-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि०मी०-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

दिनांक 20/02/19 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

जनपद-चमोली।

|   |                        |                                           |                                           |
|---|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | श्री परमानन्द राम      | उपजिलाधिकारी                              | अध्यक्ष<br>उपजिलाधिकारी                   |
| 2 | श्री बिल्लौकसिंह बिष्ट | सम्प्रभूमि वनाधिकारी<br>वन क्षेत्राधिकारी | सदस्य<br>धसली                             |
| 3 | श्री लिपिन राणा        | सहायक स. व. अधिकारी                       | सदस्य/सचिव                                |
| 4 | श्री हेमन्त सिंह बिष्ट | सदस्य क्षेत्र पंच बलाठा                   | सदस्य                                     |
| 5 | श्री मदन सिंह परासी    | सदस्य क्षेत्र पंच बलाठा                   | सदस्य                                     |
| 6 | श्री नीरज पुरोहित      | रा.उ. नि. नलधुदा                          | नीरज पुरोहित                              |
| 7 | श्री                   |                                           | रा.उ. नि. नलधुदा<br>तहसील.....<br>(चमोली) |



परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-XVII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम --मोपाटा  
तहसील-थराली, जिला-चमोली

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10 से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु कुल 0.9841 है0 सिविल भूमि (0.6475 है0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु तथा 0.3366 है0 डम्पिंग जोन हेतु), कुल 1.6389 है0 वन पंचायत भूमि (1.3475 है0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु तथा 0.2914 है0 डम्पिंग जोन हेतु) तथा कुल 0.335 है0 आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 3.008 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास-विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मोपाटा द्वारा दिनांक 29.11.2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ताजपुर, काण्डई व त्वाणी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

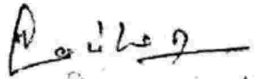
ह0 / 29.11.2018  
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत.....मोपाटा  
विभाग-वन विकास (चमोली)  
मुहर सहित

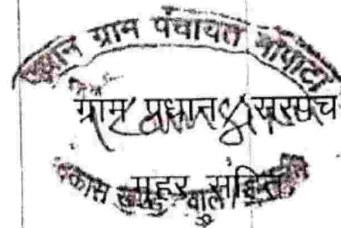
ग्राम पंचायत मोपाटा  
ह0 /  
Kam Singh  
ग्राम प्रधान/सरपंच  
मुहर सहित

### आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-XVII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

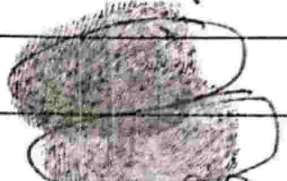
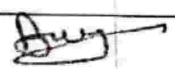
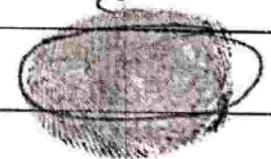
आज दिनांक 29/10/2018 को ग्राम सभा मोपाटा की आम बैठक आहूत की गयी जिसमे सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण में ग्राम वासियो की जो भी भूमि अधिग्रहण की जायेगी वह भूमि ग्राम वासी स्वेच्छा से प्रदान करने को तैयार है और ग्राम वासियो किसी भी प्रकार की आपत्ती नहीं है।

  
ग्राम पंचायत अधिकारी  
ग्राम पंचायत.....  
वि0एस0-देवाल (चमोली)



प्रारूप-30.4

दिनांक 19/10/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत-मोपाटा(इजर तोक)

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | कंचन सिंह                                        | कंचन सिंह                                                                             |
| 2.      | रुक्मा देवी                                      |    |
| 3.      | वंस-ही देवी                                      |    |
| 4.      | शा-ही देवी                                       | शा-ही देवी                                                                            |
| 5.      | शीता                                             | शीता                                                                                  |
| 6.      | नवीन सिंह                                        | नवीन सिंह                                                                             |
| 7.      | विक्रम सिंह                                      |   |
| 8.      | जंगा देवी                                        |  |
| 9.      | कामा सिंह                                        |  |
| 10.     | तुलसी देवी                                       | तुलसी देवी                                                                            |
| 11.     | उदयभराम                                          | उदयभराम                                                                               |
| 12.     | रुक्मा देवी                                      |  |
|         |                                                  |                                                                                       |
|         |                                                  |                                                                                       |
|         |                                                  |                                                                                       |

19/10/18  
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत...मोपाटा...  
वि० सं० १०-देवायत (चमोली)

ह०/-  
Kam Singh  
ग्राम प्रधान  
मोपाटा देवायत (चमोली)



## प्रारूप-30.4

दिनांक 29/10/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत-मोपाटा(मोपाटा तोक)

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर      |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|
| 1.      | देवेन्द्रसिंह                                    |                |
| 2.      | गोविन्दी देवी                                    | गोविन्दी देवी  |
| 3.      | अंशी देवी                                        | अंशी देवी      |
| 4.      | हीरा सिंह                                        | हीरा सिंह      |
| 5.      | भरत सिंह                                         | भरत सिंह       |
| 6.      | दीवानी देवी                                      | दीवानी देवी    |
| 7.      | राजेन्द्र सिंह                                   | राजेन्द्र सिंह |
| 8.      | पुष्पा देवी                                      | पुष्पा देवी    |
| 9.      | रमेश सिंह                                        |                |
| 10.     | आलमी देवी                                        | आलमी देवी      |
| 11.     | -चम्पा                                           | -चम्पा         |
| 12.     | गीता देवी                                        | गीता देवी      |
| 13.     | कुली देवी                                        | कुली देवी      |
| 14.     | बन्यो देवी                                       | बन्यो देवी     |
| 15.     | आशा                                              | आशा            |

प्रा. 2

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत... मोपाटा  
दि 02/10-देवात (चमोली)

ग्राम पंचायत मोपाटा  
Keshav Singh  
विकास ग्राम प्रधान

## प्रारूप-30.4

दिनांक 09/10/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत-मोपाटा(रोल तोक)

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर    |
|---------|--------------------------------------------------|--------------|
| 1       | धर्म सिंह                                        | धर्म सिंह    |
| 2.      | राजेश सिंह                                       | राजेश सिंह   |
| 3.      | पद्मिनी देवी                                     | पद्मिनी देवी |
| 4.      | मुन्नी देवी                                      | मुन्नी देवी  |
| 5.      | कंचन सिंह                                        | कंचन सिंह    |
| 6.      | चालू सिंह                                        | चालू सिंह    |
| 7.      | रमेश सिंह                                        | रमेश सिंह    |
| 8.      | प्रताप सिंह                                      | प्रताप सिंह  |
| 9.      | अंशु देवी                                        | अंशु देवी    |
| 10      | प्रदीप सिंह                                      | प्रदीप सिंह  |
| 11      | कमला देवी                                        | कमला देवी    |
| 12.     | गंगा सिंह                                        | गंगा सिंह    |
| 13      | नारायण सिंह                                      | नारायण सिंह  |
| 14      | विमला देवी                                       | विमला देवी   |
| 15      | वृजमोहन सिंह                                     | वृजमोहन सिंह |

प्र. रा. ल. न.

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत.....  
पि०अ०-देवाल (चमाली)

ग्राम पंचायत मोपाटा  
Kamal Singh

ग्राम प्रधान  
विकास खण्ड देवाल

## प्रारूप-30.4

दिनांक 29/10/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत-मोपाटा(भोरा तोक)

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर   |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|
| 1.      | सुंदरसिंह                                        | सुंदरसिंह   |
| 2.      | नरसीदेवी                                         |             |
| 3.      | बिहारीसिंह                                       | बिहारीसिंह  |
| 4.      | दुर्गा देवी                                      | दुर्गा देवी |
| 5.      | लक्ष्मीदेवी                                      |             |
| 6.      | नारायणनसिंह                                      | नारायणनसिंह |
| 7.      | नन्दीदेवी                                        | नन्दी देवी  |
| 8.      | मोहनलालसिंह                                      | मोहनलालसिंह |
| 9.      | देव सिंह                                         |             |
| 10.     | दीपा देवी                                        | दीपा देवी   |
| 11.     | कलवती देवी                                       | कलवती देवी  |
|         |                                                  |             |
|         |                                                  |             |
|         |                                                  |             |
|         |                                                  |             |

29/10/2018  
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत...मोपाटा...  
वि० सं०-देवाल (चमोली)





## प्रारूप-30.4

दिनांक 10/10/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत-मोपाटा(टनवा तोक)

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर   |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|
| 1.      | तादासिंह                                         | तादा सिंह   |
| 2.      | कमलादेवी                                         | कमला देवी   |
| 3.      | नन्दनसिंह                                        | नन्दन सिंह  |
| 4.      | प्रदीपसिंह                                       | प्रदीप सिंह |
| 5.      | मुन्नीदेवी                                       | मुन्नी देवी |
| 6.      | खिलापराम                                         | खिलापराम    |
| 7.      | हिम्मत सिंह                                      | हिम्मत सिंह |
| 8.      | तुलसीदेवी                                        | तुलसी देवी  |
| 9.      | प्रेमदेवी                                        | प्रेमदेवी   |
| 10.     | राजेन्द्रसिंह                                    | राजेन्द्र   |
|         |                                                  |             |
|         |                                                  |             |
|         |                                                  |             |
|         |                                                  |             |
|         |                                                  |             |

10/10/18  
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत...मोपाटा...  
वि.प.नं. 10-मोपाटा (टनवा तोक)

ह.प.नं. 10-मोपाटा  
Kam Singh  
ग्राम प्रधान  
मोपाटा तोक

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-XVII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -कोटेडा  
तहसील-थराली, जिला-चमोली

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10 से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु कुल 1.014है0 सिविल भूमि(0.649है0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु तथा 0.365है0 डम्पिंग जोन हेतु), कुल 1.608है0 वन पंचायत भूमि(1.348है0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु तथा 0.240है0 डम्पिंग जोन हेतु) तथा कुल 0.386है0 आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 3.008है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास-विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोटेडा द्वारा दिनांक 12/01/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोटेडा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव  
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत...  
कोटेडा (चमोली)

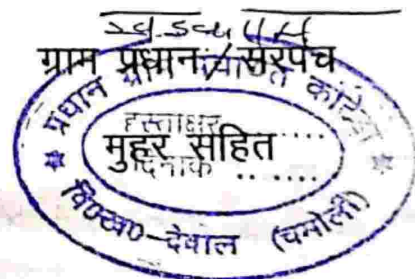
ह0/-



## आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-XVII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

आज दिनांक 12/01/2019 को ग्राम सभा कोटेडा की आम बैठक आहूत की गयी जिसमे सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण में ग्राम वासियो की जो भी भूमि अधिग्रहण की जायेगी वह भूमि ग्राम वासी स्वेच्छा से प्रदान करने को तैयार है और ग्राम वासियो किसी भी प्रकार की आप्पती नही है।

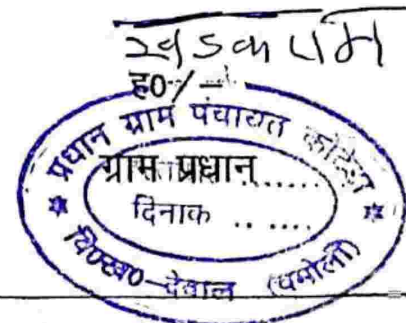




प्रारूप-30.4

दिनांक ...12/01/2019...को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत- कोटेडा

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर  |
|---------|--------------------------------------------------|------------|
| 1       | पुष्कराम                                         | पुष्कराम   |
| 2       | गोपाल राम                                        | गोपाल राम  |
| 3       | दौलतराम                                          | दौलतराम    |
| 4       | गुलाब राम                                        | गुलाब राम  |
| 5       | हरीशचन्द्र                                       | हरीशचन्द्र |
| 6       | किशन राम                                         | किशन राम   |
| 7       | माधो राम                                         | माधो राम   |
| 8       | शोबन राम                                         | शोबन राम   |
| 9       | खड्डन राम                                        | खड्डन राम  |
| 10      | भवातराम                                          |            |
| 11      | किशन राम                                         | किशन राम   |
| 12      | खड्डन राम                                        | खड्डन राम  |
| 13      |                                                  |            |
| 14      |                                                  |            |



परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-XVII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -लिंगडी  
तहसील-थराली, जिला-चमोली

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10 से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु कुल 1.014है0 सिविल भूमि(0.649है0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु तथा 0.365है0 डम्पिंग जोन हेतु), कुल 1.608है0 वन पंचायत भूमि(1.348है0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु तथा 0.240है0 डम्पिंग जोन हेतु) तथा कुल 0.386है0 आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 3.008है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास-विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लिंगडी द्वारा दिनांक 12/01/2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम लिंगडी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव  
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत... लिंगडी  
जिला-चमोली



## आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-XVII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

आज दिनांक 12/01/2019 को ग्राम सभा-लिंगडी की आम-बैठक आहूत की गयी जिसमे सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण में ग्राम वासियो की जो भी भूमि अधिग्रहण की जायेगी वह भूमि ग्राम वासी स्वेच्छा से प्रदान करने को तैयार है और ग्राम वासियो किसी भी प्रकार की आप्पती नही है।





प्रारूप-30.4

दिनांक 12/01/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत- लिंगडी

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर                  |
|---------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.      | दयाल सिंह                                        | दयाल सिंह                  |
| 2.      | सुजान सिंह                                       | सुजान सिंह                 |
| 3.      | राजेन्द्र सिंह                                   | <del>राजेन्द्र सिंह</del>  |
| 4.      | केशरी प्रसाद जोशी                                | Keshari                    |
| 5.      | बिलास सिंह                                       | बिलास सिंह                 |
| 6.      | गणेश दत्त                                        | गणेश दत्त                  |
|         | रमेश चंद्र जोशी                                  | <del>रमेश चंद्र जोशी</del> |
|         | प्रेम लाल                                        | प्रेम लाल                  |
|         | रमेश मण्डार                                      | रमेश मण्डार                |
| 9.      | दशरथ सिंह                                        | दशरथ सिंह                  |
| 10.     | आनंद सिंह                                        | आनंद सिंह                  |
| 11.     | मान सिंह                                         | मान सिंह                   |
| 12.     | अनिल                                             | अनिल                       |
| 13.     | त्रिलोक राम                                      | त्रिलोक राम                |
| 14.     | मोहन सिंह                                        | मोहन सिंह                  |



परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-18 के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग(स027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग 5.100 किमी0 का निर्माण कार्य

वन भूमि हस्तान्तरण के एवज में प्रस्तावित भूमि के आस-पास रिक्त पड़े स्थान पर

वृक्षारोपण कार्य की कार्य योजना दस वर्षों का अनुरक्षण सहित

पौध रोपण - 150 पौध प्रति है0 x3.008 है0 =

452 पौध

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम                                                  | मात्रा | इकाई       | इकाई दर (रु0) प्रति | योग        |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------|------------|
| 1        | 2                                                             | 3      | 4          | 5                   | 6          |
| (1)      | प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य :-                               |        |            |                     |            |
| 1.       | सर्वे एवं सीमांकन                                             | 3.008  | है0        | 115.00              | 345.92     |
| 2.       | स्थल सफाई कार्य                                               | 3.008  | है0        | 3730.00             | 11219.84   |
| 3.       | गड्ढा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45)रेंखांकन चूना सहित          | 452    | गड्ढे      | 7.95                | 3593.40    |
| 4.       | डी0ए0पी0 खाद की लागत 25 ग्राम प्रति गड्ढा                     | 4.52   | किग्रा0    | 28.00               | 126.56     |
| 5.       | पौध की कीमत (प्रथम वर्ष )                                     | 452    | पौधे       | 6.20                | 2802.40    |
| 6.       | भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10 है0) के आधार मानते हुए। | 3.008  | है0        | 9150.00             | 27523.20   |
| 7.       | निरीक्षण बटिया बनाना                                          | 3.008  | है0        | 915.00              | 2752.32    |
|          | योग - प्रथम चरण :-                                            |        |            |                     | 48363.64   |
| (2)      | द्वितीय वृक्षा रोपण कार्य                                     |        |            |                     |            |
| 1.       | झाड़ी कटान (लैन्टाना गाजर घास / काला बांस )                   | 3.008  | है0        | 1887.00             | 5676.10    |
| 2.       | गड्ढा भरान कार्य डी0ए0पी0 मिलाने सहित                         | 452    | गड्ढे      | 1.42                | 641.84     |
| 3.       | पौध दुलान कार्य                                               | 452    | प्रति सै0  | 0.09                | 40.68      |
| 4.       | पौध रोपण कार्य                                                | 452    | पौध        | 2.77                | 1252.04    |
| 5.       | पौधों की प्रथम निराई -गुड़ाई मलचिंग कार्य                     | 452    | पौधे       | 1.89                | 854.28     |
| 6.       | पौधों की द्वितीय निराई-गुड़ाई एवं मलचिंग कार्य                | 452    | पौधे       | 1.63                | 736.76     |
| 7.       | पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष                                    | 452    | पौधे       | 1.80                | 813.60     |
| 8.       | वाचर (चौकीदार प्रथम वर्ष रोपण वर्ष ) 7 माह                    | 3.008  | 7 माह      | 685.00              | 14423.36   |
| 9.       | साईन बोर्ड आदि कय                                             | 3.008  | ल0स0       | 5000.00             | 5000.00    |
| 10.      | 452 पौधों की सुरक्षा हेतु ट्रीगार्ड कय मय दुलान व फिटिंग सहित | 452    | ट्री गार्ड | 2500.00             | 1130000.00 |
|          | योग द्वितीय चरण :-                                            |        |            |                     | 1159438.66 |
| (3)      | तृतीय वर्ष 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (वीटिंग अप) प्रति है0       |        |            |                     |            |
| 1.       | पौध की लागत                                                   | 45     | पौधे       | 8.00                | 360.00     |
| 2.       | पौध दुलान कार्य                                               | 45     | पौधे       | 9.00                | 405.00     |
| 3.       | पून: गड्ढा खोदना एवं रोपण कार्य                               | 45     | पौधे       | 4.40                | 198.00     |
| 4.       | गड्ढों में गोबर खाद डालना लागत सहित                           | 45     | पौधे       | 1.95                | 87.75      |
| 5.       | पौधों की शीतकालीन मलचिंग                                      | 45     | पौधे       | 1.63                | 73.35      |
| 6.       | वनीकरण चौकीदार ( 12 माह) 1 वर्ष                               | 3.008  | 12 माह     | 685.00              | 24725.76   |
|          | योग तृतीय चरण :-                                              |        |            |                     | 25849.86   |



| 1    | 2                                      | 3     | 4      | 5      | 6          |
|------|----------------------------------------|-------|--------|--------|------------|
| (4)  | चतुर्थ वर्ष (रखरखाव कार्य )            |       |        |        |            |
| 1.   | वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह ) | 3.008 | 12 माह | 685.00 | 24725.76   |
|      | योग चतुर्थ चरण :-                      |       |        |        | 24725.76   |
| (5)  | पंचम वर्ष (रखरखाव कार्य )              |       |        |        |            |
| 1.   | वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)  | 3.008 | 12 माह | 685.00 | 24725.76   |
|      | योग पंचम चरण :-                        |       |        |        | 24725.76   |
| (6)  | षष्ठम वर्ष (रखरखाव कार्य )             |       |        |        |            |
| 1.   | वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)  | 3.008 | 12 माह | 685.00 | 24725.76   |
|      | योग षष्ठम चरण :-                       |       |        |        | 24725.76   |
| (7)  | सप्तम वर्ष (रखरखाव कार्य )             |       |        |        |            |
| 1.   | वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)  | 3.008 | 12 माह | 685.00 | 24725.76   |
|      | योग सप्तमचरण :-                        |       |        |        | 24725.76   |
| (8)  | अष्टम वर्ष (रखरखाव कार्य )             |       |        |        |            |
| 1.   | वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)  | 3.008 | 12 माह | 685.00 | 24725.76   |
|      | योग अष्टम चरण :-                       |       |        |        | 24725.76   |
| (9)  | नवम वर्ष (रखरखाव कार्य )               |       |        |        |            |
| 1.   | वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)  | 3.008 | 12 माह | 685.00 | 24725.76   |
|      | योग नवम चरण :-                         |       |        |        | 24725.76   |
| (10) | दसम वर्ष (रखरखाव कार्य )               |       |        |        |            |
| 1.   | वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)  | 3.008 | 12 माह | 685.00 | 24725.76   |
|      | योग दस चरण :-                          |       |        |        | 24725.76   |
|      | सम्पूर्ण योग                           |       |        |        | 1406732.48 |
|      | या                                     |       |        |        | 1406700.00 |

  
 वन विभाग  
 पूर्ण विवर देना  
 वन विभाग  
 वन विभाग



मार्ग के दोनो ओर रिक्त पडे स्थानों पर वृक्षारोपण की धनराशि वहन् किये जाने हेतु  
प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-XVIII  
के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि0मी0-10 से मोपाटा मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा  
लिंक मोटर मार्ग के दोनो ओर रिक्त पडे स्थानों पर वृक्षारोपण की धनराशि ग्राम्य विकास विभाग,  
उत्तराखण्ड द्वारा वहन् की जायेगी।

सहायक अभियन्ता  
Assistant Engineer  
ग्रामीण निर्माण विभाग  
Karunprayag-1  
पी0एम0जी0एस0वाई0  
कर्णप्रयाग-1

अधिसूची अभियन्ता  
ग्रामीण निर्माण विभाग  
पी0एम0जी0एस0वाई0 कर्णप्रयाग  
पी0एम0जी0एस0वाई0  
कर्णप्रयाग-1

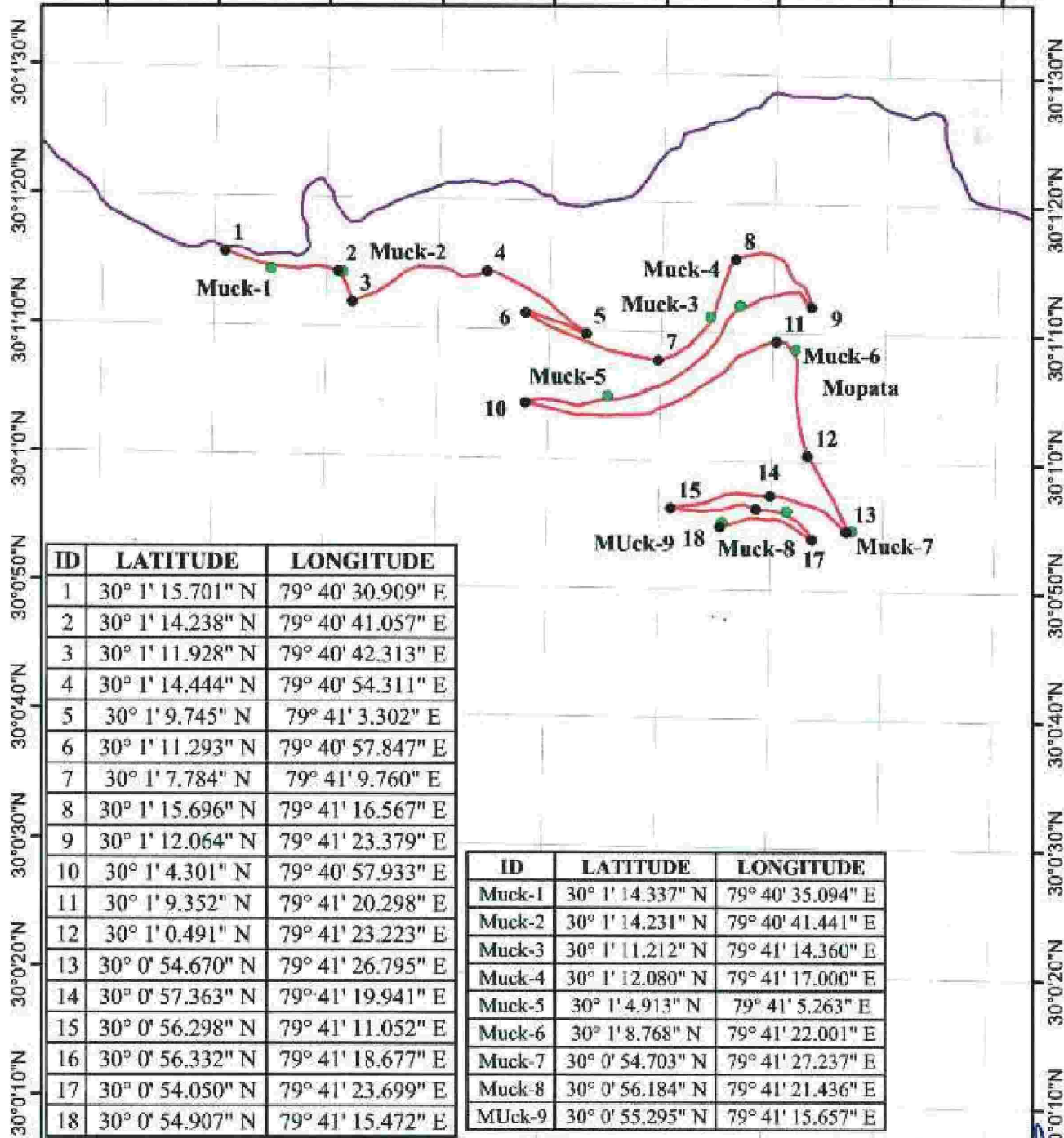
जियो रेफरेंस मैप :-जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज - 18 के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग किमी0 10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

0 0.125 0.25 0.5  
KM

Scale- 1:13,000



79°40'20"E 79°40'30"E 79°40'40"E 79°40'50"E 79°41'0"E 79°41'10"E 79°41'20"E 79°41'30"E 79°41'40"E



### Legend

- GPS Points
- Muck Disposal Sites
- Proposed Road
- Existing Road

Assistant Engineer  
RWD.PMGSY  
Karanprayag-1

जिला अधिकारी  
चमोली

अतिरिक्त अभियन्ता  
ग्रामीण विकास विभाग  
पी०एम०जी०एस०आई०कॉरपोरेशन

मुख्य अभियन्ता  
ग्रामीण विकास विभाग  
पी०एम०जी०एस०आई०कॉरपोरेशन

प्र.जिला अधिकारी  
चमोली

मुख्य अभियन्ता  
ग्रामीण विकास विभाग  
पी०एम०जी०एस०आई०कॉरपोरेशन

प्रभागीय कन्सल्टन्ट  
ग्रामीण विकास विभाग  
(चमोली)

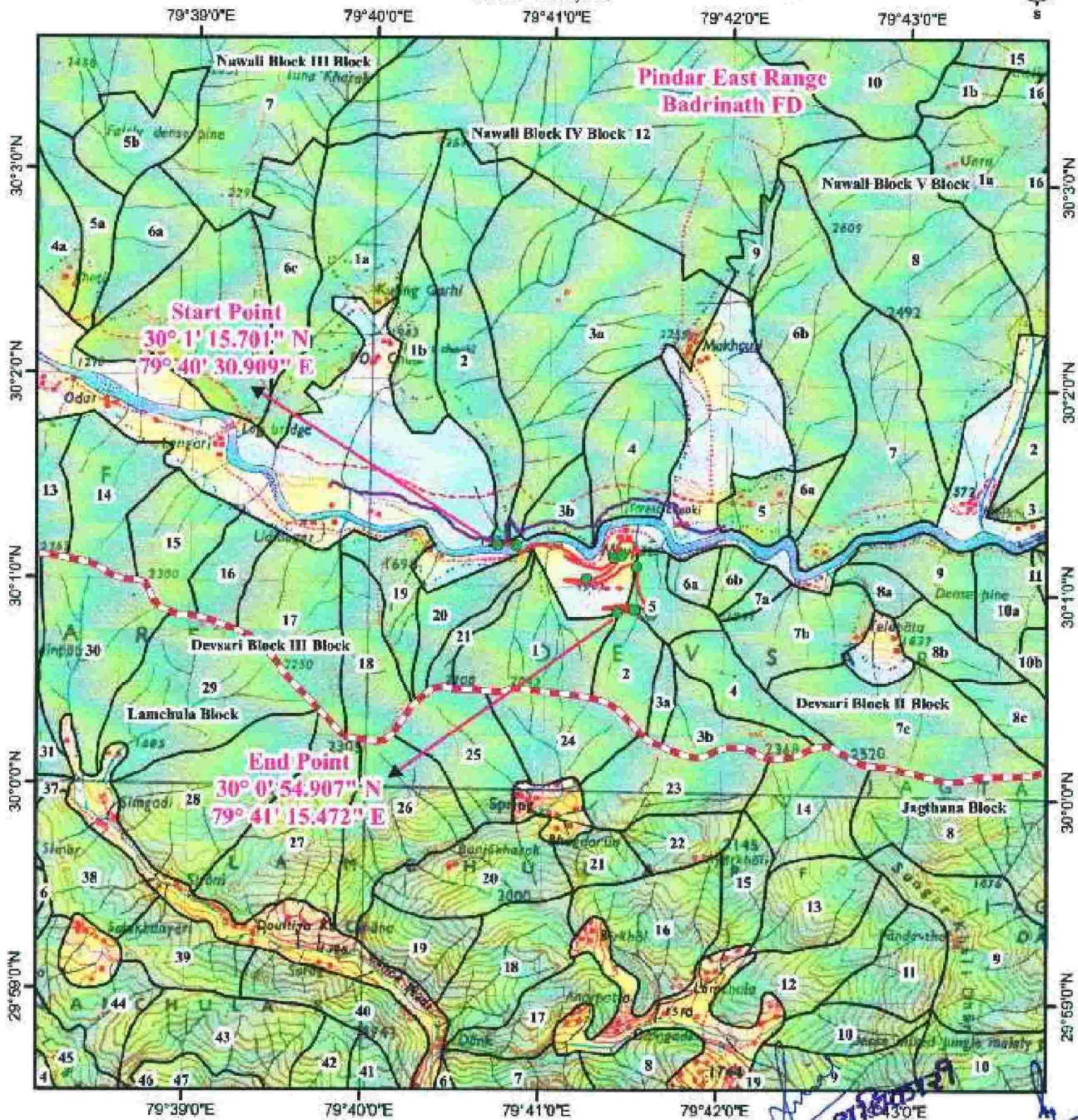


डिजिटल मैप - जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज - 18 के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग किमी 0 10 (सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

0 0.5 1 1.5 2 Km

Scale- 1:50,000

SOI Toposheet No. 53N/12



### Legend

- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Muck Dumping Zone
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

**Assistant Engineer**  
**RWD.PMGSY**  
**Karanprayag-1**

**बिना अधिकारी चमोली**

**8.0**  
**वर्ग किलोमीटर**  
**पुर्वा पिनडर देवाल**  
**कमोली वन विभाग रोपेख**

अतिरिक्त अधिकारी  
सामान्य विभाग  
पीएमजीएसवीकरण

प्रशासीय कर्माधिकारी  
कमोली वन विभाग रोपेख  
(चमोली)

**जन रोड**  
**चमोली**

**प्र. बिना अधिकारी**  
**चमोली (चमोली)**

**नीरज पुरोहित**  
**राजनीति**  
**तहसील**  
**(चमोली)**



## Task Force Certificate

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-XVIII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.
- (iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In

- (v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा हैं।

ह0  
अधिसूची अभियन्ता  
ग्रामीण निर्माण विभाग  
प्रयोक्ता एजेन्सी  
पी0एम0जी0एच0वाइ0क0ण0प्रयाग

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने  
का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० फेज-XVIII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि०मी०-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

  
अभिषेक अभियन्ता  
ग्रामीण निर्माण विभाग  
पी०एम०जी०एस०वाई० कर्णप्रयाग  
प्रयोक्ता एजेन्सी



परियोजना के सीमांकन/आर०सी०सी० पिलरों की धनराशि वहन् किये जाने  
का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० फेज-XVIII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि०मी०-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में आर०सी०सी० पिलरों के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वहन् की जायेगी।

30/11/2020  
अधिशक्ति अधिकारी  
प्रयोक्ता, राजस्व विभाग  
पी०एम०जी०एस०वाई० कर्मप्रयोग

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-XVIII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

ह0/-  
अधिशाली अधिकारिता  
प्रमाणित विभाग  
पी0एम0जी0एस0वाई0कर्मप्रयाग

ह0/-  
नरेश मुखर्जी  
रा0ड0मि0.....  
तहसील.....  
(चमोली)

ह0/-  
वन क्षेत्र अधिकारी  
पुर्व विवर देवाल  
सर्वेक्षण वन प्रभाग गोपेस्वर

ह0/-  
सि.ए.

ह0/-  
Assistant Engineer  
RWD, PMGSY  
Karanprayag-1

ह0/-  
जिलाधिकारी  
जिला अधिकारी  
चमोली

ह0/-  
जिला अधिकारी  
थराली (चमोली)

ह0/-  
प्रमाणित कर्माधिकारी  
प्रमाणित वन प्रभाग गोपेस्वर  
(चमोली)

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-XVIII के अन्तर्गत छेवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 10.000किमी0 से अधिक है।

जयश्री  
व० द० व० 5

वन विभागाधिकारी  
पूर्व विन्डर रेज देतल  
बदोनाब वन विभाग गोरे

ह०/  
प्रभासीय वनविभागाधिकारी  
प्रभासीय वन विभाग गोरे  
(चमोली)



वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० फेज-XVIII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि०मी०-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

H0  
आवृत्त शास्त्री अभियन्ता  
ग्रामीण निर्माण विभाग  
परमोक्ता एन०डी०एन०एन० प्रयाग

## कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-XVIII के अन्तर्गत छेवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

27/11/2015

हो  
अधिशोषी अभियन्ता  
ग्रामीण निर्माण विभाग  
पी0एम0जी0एस0वाई0  
खण्ड-कनप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी  
पूर्वी विन्डर रेंज केवाल  
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर  
(R.O.)

हो

प्रभागीय वनाधिकारी  
प्रभागीय कक्षाधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर  
(चमोली)

Assistant Engineer  
RWD.PMGSY  
Karanprayag-1

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-XVIII के अन्तर्गत छेवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

  
प्रमाणित वनाधिकारी  
छेवाल वन प्रभाग गोपेस्वर  
(चमोली)

  
वन क्षेत्राधिकारी  
पूर्वी पिन्डार रेंज देवाल  
छेवाल वन प्रभाग गोपेस्वर

  
अभियन्ता  
निर्माण विभाग  
पी0एम0जी0एस0वाई0  
खण्ड-कनप्रयाग

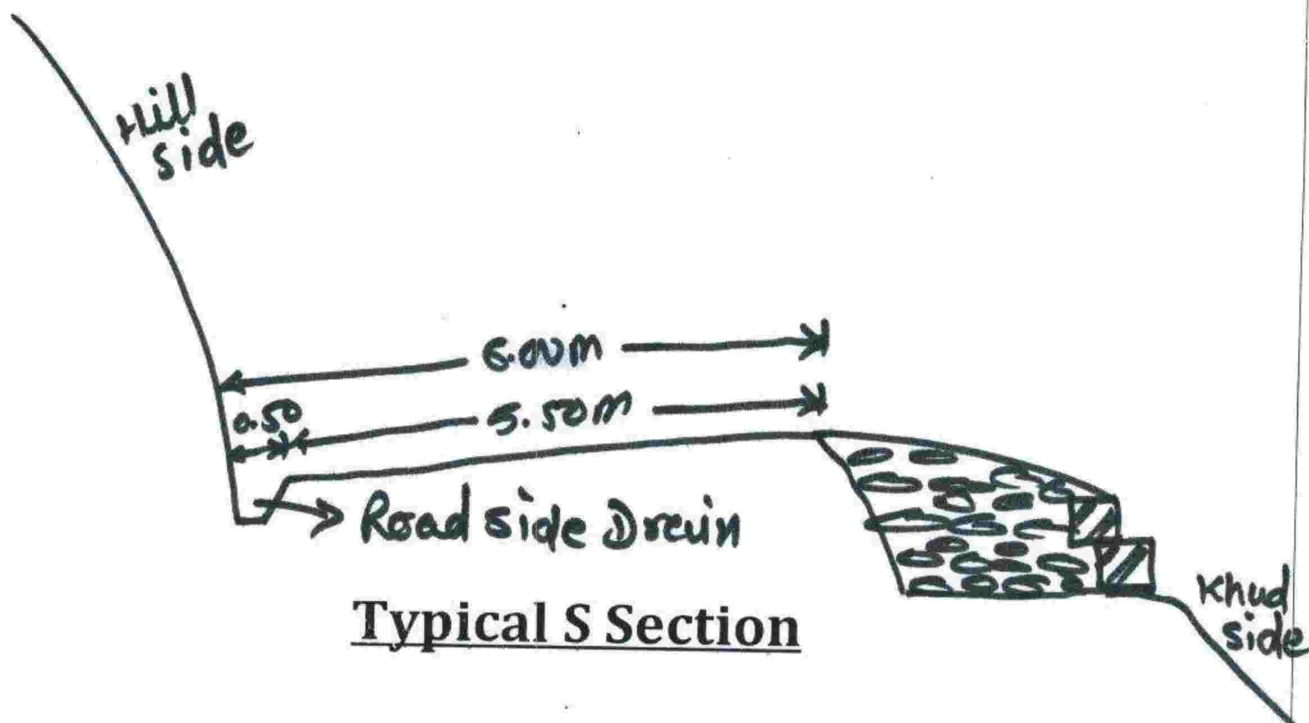
  
चमोली

  
Assistant Engineer  
RWD. PMGSY  
Karanprayag-1

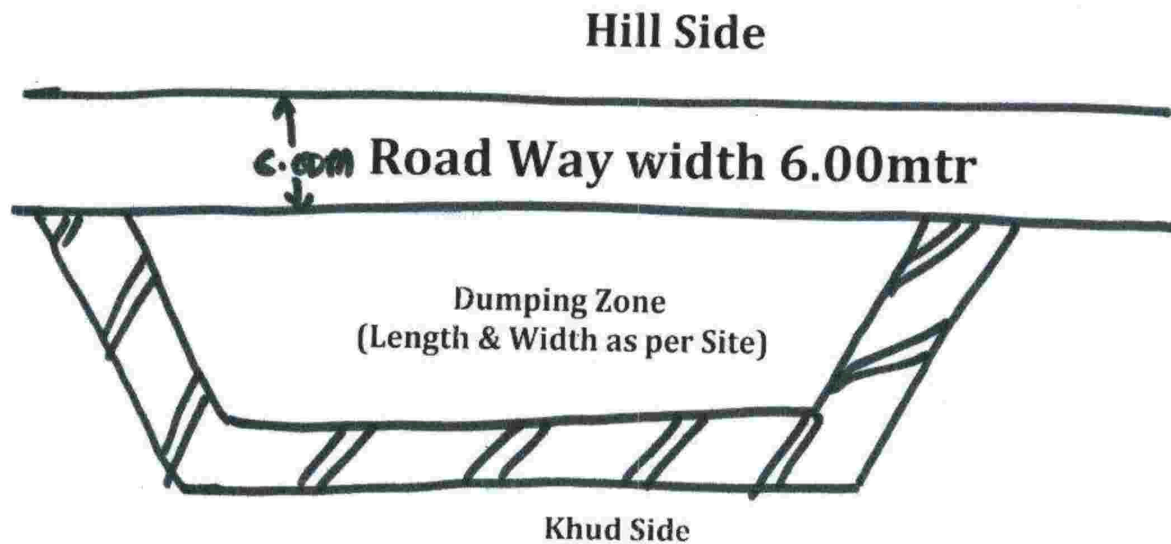


परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० फेज-XVIII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि०मी०-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

## Hill Side



## Typical S Section



Hill Side

6.00m Road Way width 6.00mtr

Dumping Zone  
(Length & Width as per Site)

Khud Side

Note: Drawing not to Scale

## Plan

J.E

Assistant Engineer  
RWD, PMGSY  
Karanprayag-1

अधिवक्ता अभियन्ता  
ग्रामीण निर्माण विभाग  
पी०एम०जी०एस०वाई० कर्णप्रयाग

20/11/20

विकास अधिकारी  
पू. विभाग देवाल  
चमोली जिला नगर प्रशासन चोपेखुल

# **MUCK DISPOSAL PLAN**

## MUCK DISPOSAL PLAN

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-18 के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

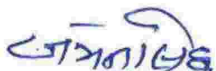
### MUCK THAT EXPECTED TO GENERAT FROM

|                     |                                                                                                                                 |       |         |      |      |          |     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|------|----------|-----|
| i)                  | From hill side cutting .Taking average .Width of road (6.90+6.00)/2 =6.45 m Assuming 4.00 m hight and width 6.45/2 i.e. 3.225 m | 1/2x1 | 5100.00 | 3.23 | 4.00 | 32895.00 | CUM |
| ii)                 | From Construction of scupper (Dimensions as per standard drawing .8 Nos scuppers per Km)                                        | 5.1x6 | 30.00   | 3.60 | 2.10 | 6804.00  | CUM |
| TOTAL MUCK RECEIVED |                                                                                                                                 |       |         |      |      | 39699.00 | CUM |

### MUCK THAT PROPOSED TO CONSUME IN

|                                                            |                                                                                                               |        |               |               |               |          |     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|----------|-----|
| 1                                                          | Earth and boulder filling in super-elevation. Total nos of curves in 1km =24 Nos 12 of them are convex curve. | 5.1x12 | 20.00         | 7.00          | (0.20+0.70)/2 | 3855.60  | CUM |
| 2                                                          | Construction of coolie walling                                                                                | 1x1    | 1000.00       | 0.60          | (1.00+0.50)/2 | 450.00   | CUM |
| 3                                                          | Construction of B/W                                                                                           | 1x1    | 454.00        | (0.93+0.60)/2 | 1.800         | 612.90   | CUM |
| 4                                                          | Construction of R/Wall                                                                                        | 1x1    | 811.00        | (1.50+0.50)/2 | 4.000         | 3244.00  | CUM |
| 5                                                          | Construction of wire create at                                                                                | 1x257  | 3.00          | 1.50          | 1.250         | 1445.63  | CUM |
| 6                                                          | Hand Packed stone filling                                                                                     | 1x1/2  | 811.00        | 1.00          | 2.000         | 400.00   | CUM |
| 7                                                          | Making of Edge stone                                                                                          | 1x816  | 0.45          | 0.20          | 0.100         | 7.34     | CUM |
| 8                                                          | Construction of Pucca K.c drain                                                                               | 1x1    | 200.00        | 0.60          | 0.100         | 12.00    | CUM |
| 9                                                          | Construction of Scupper                                                                                       | 5.10x6 | (6.60+6.90)/2 | (1.10+0.60)/2 | 1.800         | 175.57   | CUM |
| TOTAL MUCK COSUMED                                         |                                                                                                               |        |               |               |               | 10203.04 | CUM |
| BALANCE MUCK I.e (CUM),SHALL BE DISPOSED AT DUMPING YARDS. |                                                                                                               |        |               |               |               | 29495.96 | CUM |

  
J.E

  
9/5

Assitant Engineer  
RWD. PMGSY  
Karanprayag-1

अधिशायी अभियन्ता  
ग्रामीण विभाग  
पी0एम0जी0एस0वाई0कर्मप्रयाग

  
वन क्षेत्र अधिकारी  
पूर्व पिन्डर देवाल  
वर्तमान वन प्रशासक कोरेवाड़ा

  
प्रभागीय कन्नाधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर  
(चमोली)



परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-18 के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

| S.No.                          | Locational of Dumping Yard (Km.) | Area in Sqm.             | Type of Land       | Capacity of Dumping Yard Cum | Latitude "N"  | Longitude "E"  |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 1                              | 0/2-0/5                          | 77.00 x 8.00 = 616.00    | Civil Land         | 2217.60                      | 30°1'14.331"N | 79°41'35.094"E |
| 2                              | 0/18-0/25                        | 200.00 x 9.00 = 1800.00  | Van Panchayat Land | 6480.00                      | 30°1'14.231"N | 79°40'41.441"E |
| 3                              | 1/18-1/22                        | 51.25 x 8.00 = 410.00    | Private Land       | 1476.00                      | 30°1'11.212"N | 79°41'14.360"E |
| 4                              | 1/28-1/32                        | 50.00 x 9.00 = 450.00    | Van Panchayat Land | 1620.00                      | 30°1'12.08"N  | 79°41'17.001"E |
| 5                              | 1/35-2/5                         | 150.00 x 8.00 = 1200.00  | Private Land       | 4320.00                      | 30°1'14.913"N | 79°41'5.263"E  |
| 6                              | 2/15-2/20                        | 83.00 x 8.00 = 664.00    | Van Panchayat Land | 2390.40                      | 30°1'8.768"N  | 79°41'22.807"E |
| 7                              | 3/10-3/20                        | 125.00 x 10.00 = 1250.00 | Civil Land         | 4500.00                      | 30°0'54.703"N | 79°41'27.237"E |
| 8                              | 3/37-3/40                        | 150.00 x 10.00 = 1500.00 | Civil Land         | 5400.00                      | 30°0'56.184"N | 79°41'21.436"E |
| 9                              | 4/40-5/3                         | 100.00 x 8.00 = 800.00   | Private Land       | 2880.00                      | 30°0'55.295"N | 79°41'15.657"E |
| Total Capacity of Dumping Yard |                                  |                          |                    | 31284.00                     | Cum           |                |

### Summry of Debris Disposal

| S.No. | Total Debries | Disposal during construction | Re-Used material for Road Construction | Total Disposal | Balance Debris |
|-------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|
| 1     | 39699.00      | 29495.96                     | 10203.04                               | 29495.96       | 0.00           |

Assistant Engineer  
RWD. PMGSY  
Karanprayag-1

Executive Engineer  
RWD. PMGSY  
Karanprayag-1